The

Doctor Ram Manohar Lohiya ¹[National Law University Uttar Pradesh Act], 2005²

[U.P. Act No. 28 of 2005]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

An Act to establish and incorporate a National Law ³[University] at Lucknow in Uttar Pradesh and to provide for matters connected therewith or incidental thereto

It is hereby enacted in the Fifty-sixth Year of the Republic of India as follows:—

Statement of Objects and Reasons.—Although several colleges and universities in Uttar Pradesh are imparting education in the subject of law, yet due to the lack of excellent infrastructural facilities many meritorious students of the State are facing several problems in seeking admission in the National Law School and University/National Law Institutes established in other States such as Karnataka, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan and West Bengal. The jurists, the educationists, the guardians and the students are demanding persistently for the establishment of a National Law Institute in Uttar Pradesh for promoting education in law in the State. It has, therefore, been decided to make a law for the establishment of a Law Institute at Lucknow in Uttar Pradesh under the name of 'Doctor Ram Manohar Lohiya Rashtriya Vidhi Sansthan, Uttar Pradesh' to advance and disseminate learning and knowledge of law and legal process and to develop in the students and research scholars a sense of responsibility to serve the society in the field of law by developing skills and in advocacy, judicial and other legal services and legislation and the like.

Doctor Ram Manohar Lohiya Rashtriya Vidhi Sansthan Uttar Pradesh Vidheyak, 2005 is introduced accordingly.

- 1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called Doctor Ram Manohar Lohiya ¹[National Law University Uttar Pradesh Act], 2005.
- (2) It shall come into force on such date* as the State Government may, by notification, appoint.
 - 2. Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires,—
 - (i) "Academic Council" means the Academic Council of the ⁴ [University] constituted under Section 21;
 - (ii) "⁵ [Vice-Chancellor]" means the ⁵[Vice-Chancellor] of the ⁴[University] appointed under Section 27;
 - (iii) "Executive Council" means the Executive Council of the ⁴[University] constituted under Section 14;

^{1.} Subs. for "Rashtriya Vidhi Sansthan Uttar Pradesh Adhiniyam" by U.P. Act 35 of 2006, S. 2.

^{2.} Received the assent of the Governor on December 16, 2005 and published in the U.P. Gazette, Extra., Part 1, Section (Ka), dated 19th December, 2005, pp. 23-44.

^{3.} Subs. for "Sansthan" by U.P. Act 35 of 2006, S. 2.

^{*} January 4, 2006 [Vide Noti. No. 19/LXX-1-06-80(6)-2005 T.C., dated 4-1-2006].

^{4.} Subs. for "Sansthan" by U.P. Act 35 of 2006, S. 2.

^{5.} Subs. for "Director" by U.P. Act 5 of 2009, S. 2.

S. 3] DOCTOR RAM MANOHAR LOHIYA NATIONAL LAW UNIVERSITY UTTAR PRADESH ACT, 2005

- (iv) "General Council" means the General Council of the ⁶[University] constituted under Section 9;
- (v) "Prescribed" means prescribed by regulations;
- (vi) "Registrar" means the Registrar of the ⁶[University] appointed under Section 29;
- (*vii*) "Regulations" means the regulations of the ⁶[University] made under Section 32;
- (viii) "6[University]" means Doctor Ram Manohar Lohiya [National Law University]⁷, Uttar Pradesh established under Section 3;
 - (ix) "Secretary-in-Charge" means the Principal Secretary or the Secretary, as the case may be, of the concerned department of the Government of Uttar Pradesh;
 - (x) "Senior Administrative officers of the State" means officers of the Indian Administrative Service and Provincial Civil Service of Uttar Pradesh posted in the ⁶[University] by the State Government;
 - (xi) "Teacher" means a teacher employed by the ⁶[University] for imparting education and guiding and conducting research in the ⁶[University];
- (xii) "Visitor" means the Visitor of the ⁶[University] referred to in Section 7.
- **3. Establishment and incorporation of the** ⁶[University].—(1) With effect from such date as the State Government may by notification appoint, there shall be established in the State of Uttar Pradesh an Institute by the name of Doctor Ram Manohar Lohiya ⁷[National Law University], Uttar Pradesh.
 - (2) The ⁶[University] shall be a body corporate.
 - (3) The headquarters of the ⁶[University] shall be at Lucknow.
 - (4) In relation to the ⁶[University] to be established under this section,—
 - (a) the State Government shall appoint interim officers of the ⁶[University] and constitute interim authorities of the ⁶[University] in such manner, as it thinks fit;
 - (b) the officers appointed and members of the authorities constituted under clause (a) shall hold office until the appointment of officers or the constitution of the authorities in accordance with clause (c) or such other earlier date as may be specified by the State Government in this behalf:

Provided that the State Government may, by notification, extend the term of members of such authorities for a period not exceeding two years.

- (c) the State Government shall take steps for the appointment of officers and constitution of authorities of the ⁶[University] in accordance with the provisions of this Act, so that the same may be completed before the expiry of the respective terms of the interim officers and members under clause (b).
- **4. Objectives of the** ⁶[University].—The objectives of the ⁶[University] shall be,—
 - (i) to advance and disseminate learning and knowledge of law and legal processes and their role in national development;

^{6.} Subs. for "Sansthan" by U.P. Act 35 of 2006, S. 2.

^{7.} Subs. for "Rashtriya Vidhi Sansthan" by U.P. Act 35 of 2006, S. 2.

S. 5] DOCTOR RAM MANOHAR LOHIYA NATIONAL LAW UNIVERSITY UTTAR PRADESH ACT, 2005

- (ii) to develop in the student and research scholar a sense of responsibility to serve the society in the field of law by developing skills in regard to advocacy, judicial and other legal services, legislation, law reforms in the existing laws and the like;
- (iii) to organise lectures, seminars, symposia and conferences, to promote legal knowledge and to make law and legal processes efficient instrument of social development;
- (iv) to hold examinations and confer degrees and other academic distinctions; and
- (v) to do all such things as are incidental, necessary or conducive to the attainment of all or any of the objectives of the ⁸[University].
- **5. Powers and functions of the** ⁸[University].—The powers and functions of the ⁸[University] shall be,—
 - (i) to administer and manage the ⁸[University] and such centres for research, education and instruction as are necessary for the furtherance of the objectives of the ⁸[University];
 - (ii) to provide for instructions in such branches of knowledge of learning pertaining to law, as the ⁸[University] may deem fit and to make provision for research and for the advancement and dissemination of knowledge of law;
 - (iii) to sponsor and undertake research in all aspects of law, justice and social development;
 - (iv) to prescribe qualifications and to regulate the admission of students to the ⁸[University] for a course of study for a degree or a diploma;
 - (v) to organise and undertake extra mural teaching and extension services;
 - (vi) to hold examinations and to grant diplomas or certificates, and to confer degrees and other academic distinctions on persons subject to such conditions as the ⁸[University] may determine and to withdraw any such diplomas, certificates, degree or other academic distinctions for good and sufficient cause;
 - (vii) to confer honorary degree or other distinctions in such manner as may be prescribed;
 - (viii) to fix, demand and receive fees and other charges;
 - (ix) to institute and maintain halls and hostels and to recognise places of residence for the students of the ⁸[University] and to withdraw such recognition accorded to any such place of residence;
 - (x) to supervise and control the residence, and to regulate the discipline, of the students of the ⁸[University] and to make arrangements for promoting their health;
 - (xi) to make arrangements in respect of the residence, discipline and teaching of students;
 - (xii) to create academic, technical, administrative, ministerial and other posts with the prior approval of the State Government;
 - (xiii) to regulate and enforce discipline among the employees of the ⁸[University] and to take such disciplinary measures as may be deemed necessary;

^{8.} Subs. for "Sansthan" by U.P. Act 35 of 2006, S. 2.

S. 5] DOCTOR RAM MANOHAR LOHIYA NATIONAL LAW UNIVERSITY UTTAR PRADESH ACT, 2005

- (*xiv*) to institute professorships, ⁹ [Associate/Assistant Professorship], lecturerships, and any other teaching, academic or research posts required by the ¹⁰ [University] with the prior approval of the State Government;
- (xv) to appoint persons as professors, readers, lecturers or otherwise as teachers and research scholars of the 10 [University];
- (xvi) to institute and award fellowships, scholarship, prizes and medals;
- (xvii) to provide for printing, reproduction and publication of research and other works and to organise exhibitions;
- (xviii) to co-operate with any other organisation in the matter of education, training and research in law, justice, social development and allied subjects for such purposes as may be agreed upon on such terms and conditions as the ¹⁰[University] may from time to time determine;
 - (xix) to co-operate with institutions of higher learning in any part of the world having objects wholly or partially similar to those of the ¹⁰[University], by exchange of teachers and scholars and generally in such manner as may be conducive to the common objects;
 - (xx) to regulate the expenditure and to manage the accounts of the 10 [University];
- (xxi) to establish and maintain, within the premises of the ¹⁰[University] or elsewhere, such classrooms and study halls as the ¹⁰[University] may consider necessary and adequately furnish the same and to establish and maintain such libraries and reading rooms as may appear convenient or necessary for the ¹⁰[University];
- (xxii) to receive grants, subventions, subscriptions, donations and gifts for the purpose of the ¹⁰[University] and consistent with the objectives for which the ¹⁰[University] is established;
- (xxiii) to purchase, take on lease or accept as gifts or otherwise, any land or building or works, which may be necessary or convenient for the purpose of the ¹⁰[University], on such terms and conditions as it may think fit and proper, and to construct, or to alter and maintain, any such building or works;
- (xxiv) to sell, exchange, lease or otherwise dispose of all or any portion of the properties of the ¹⁰[University], movable or immovable, on such terms as it may deem fit and proper without prejudice to the interest and activities of the ¹⁰[University]:

Provided that where the properties have been created with the financial assistance of the State or the Central Government prior approval of the State Government shall be necessary;

- (xxv) to draw and accept, to make and endorse to discount and negotiate, Government of India and other promissory notes, bills of exchange, cheques or other negotiable instruments;
- (xxvi) to execute conveyances, transfer, reconveyances, mortgages, leases, licences and agreements in respect of property, movable or immovable including Government securities belonging to the ¹⁰[University] or to be acquired for the purpose of the ¹⁰[University] with prior approval of the State Government;

^{9.} Subs. for "readership" by U.P. Act 35 of 2006, S. 3.

^{10.} Subs. for "Sansthan" by U.P. Act 35 of 2006, S. 2.

S. 6] DOCTOR RAM MANOHAR LOHIYA NATIONAL LAW UNIVERSITY UTTAR PRADESH ACT, 2005

- (xxvii) to appoint in order to execute an instrument or transact any business of the ¹¹[University], any person as it may deem fit;
- (xxviii) to enter into any agreement with the Central Government, State Government, the University Grants Commission or other authorities for receiving grants;
 - (xxix) to raise and borrow money on bonds, mortgages, promissory notes or other obligations or securities, funded or based upon all or any of the properties and assets of the ¹¹[University] or without any securities and upon such terms and conditions as it may deem fit and to pay out of the funds of the ¹¹[University] all expenses incidental to the raising of money, and to repay and redeem any money borrowed;
 - (xxx) to invest the funds of the ¹¹[University] or fund entrusted to the ¹¹[University] in or upon such securities and in such manner as it may deem fit and from time to time transpose any investment;
 - (xxxi) to constitute for the benefit of the academic, technical, administrative and other staff, in such manner and subject to such conditions as may be prescribed by the regulations, such as pension, insurance, provident fund and gratuity as it may deem fit and to make such grants as it may think fit for the benefit of any employees of the ¹¹[University] and to aid in establishment and support of the associations, institutions, funds, trusts and conveyance calculated to benefit the staff and the students of the ¹¹[University];
- (xxxii) to do all such other acts and things as the ¹¹[University] may consider necessary, conducive or incidental to the attainments or enlargements of all or any of its objectives.
- **6. Teaching in the** ¹¹[University].—(1) All recognised teaching in connection with the degrees, diplomas and certificates of the ¹¹[University] shall be conducted under the control of the General Council by the teachers of the ¹¹[University] in accordance with such syllabus as may be prescribed.
- (2) The courses and curricula and the authorities responsible for organising such teaching shall be such as may be prescribed.
- 7. Visitor of the ¹¹[University].—¹²[(1) The Chief Justice of India shall be the Visitor of the University:

Provided that in case the Chief Justice of India does not give his consent to hold the office of the Visitor of the University, he shall then nominate any sitting Judge of the Supreme Court of India to hold the office of the Visitor of the University.]

(2) The Visitor shall have the right to cause inspection to be made, by such person or persons as he may direct, of the ¹¹[University], its buildings, libraries and equipments and of any Institution maintained by the ¹¹[University], and also of the examinations, teaching and other work conducted or done by the ¹¹[University] and to cause an inquiry to be made in like manner in respect of any matter connected with the administration and finances of the ¹¹[University].

^{11.} Subs. for "Sansthan" by U.P. Act 35 of 2006, S. 2.

^{12.} Subs. by Act 9 of 2015, S. 2, dated 7-9-2015. Prior to substitution it read as:

[&]quot;(1) The Chief Justice of India shall be the Visitor of the University:

Provided that if the Chief Justice of India does not give his consent to hold the office of the Visitor of the University, the State Government may nominate a former Chief Justice of India to hold the office of Visitor of the University, in such manner and on such terms and conditions as may be prescribed."

- (3) The Visitor shall give notice to the ¹³[University] of his intention to cause an inspection or inquiry to be made and the ¹³[University] shall be entitled to appoint a representative who shall have the right to be present and be heard at such inspection of inquiry.
- (4) The Visitor may address the ¹⁴[Vice-Chancellor] with reference to the result of such inspection or inquiry and the ¹⁴[Vice-Chancellor] shall communicate to the General Council the views of the Visitor along with such advice as the Visitor may have offered on the action to be taken thereon.
- (5) The General Council shall communicate through the ¹⁴[Vice-Chancellor] the Visitor such action, if any, as it proposes to take or has been taken on the result of such inspection or inquiry.
- **8.** Authorities of the ¹³[University].—The following shall be the authorities of the ¹³[University]:—
 - (i) the General Council;
 - (ii) the Executive Council;
 - (iii) the Academic Council;
 - (iv) the Finance Committee; and
 - (v) such other authorities as may be prescribed.
- **9. General Council.**—(1) There shall be a General Council of the ¹³[University] which shall consist of the following members, namely:—
 - I. Ex officio Members
 - (i) The Chief Minister of Uttar Pradesh
 - (ii) The Chief Justice of High Court of Judicature at Allahabad
 - (iii) The Minister of Law, Government of Uttar Pradesh
 - (iv) The Minister of Higher Education, Government of Uttar Pradesh
 - (v) The Advocate General, Uttar Pradesh
 - $^{15}[(v-a)]$ The Chairman, Bar Council of India]
 - (vi) The Chairman, State Bar Council, Uttar Pradesh
 - (vii) The Secretary-in-charge of Judicial Department, Government of Uttar Pradesh
 - (viii) The Secretary-in-charge of Finance Department, Government of Uttar Pradesh
 - (ix) The Secretary-in-charge of Higher Education Department, Government of Uttar Pradesh
 - (x) The 14 [Vice-Chancellor] of the 13 [University]
 - II. Nominated Members
 - (i) one Judge of the High Court of Judicature at Allahabad nominated by the Chief Justice of the said High Court;
 - (ii) ¹⁶[* * *]

^{13.} Subs. for "Sansthan" by U.P. Act 35 of 2006, S. 2.

^{14.} Subs. for "Director" by U.P. Act 5 of 2009, S. 2.

^{15.} Ins. by U.P. Act No. 26 of 2006, S. 2 (w.e.f. 14-7-2006).

^{16.} Omitted by U.P. Act 5 of 2009, S. 3(a). Prior to omission it read as:

[&]quot;(ii) two Members of the Lok Sabha from Uttar Pradesh, one of whom shall be from the ruling party and another from the opposition party, to be nominated by the Speaker of the Lok Sabha;"

- (*iii*) 17[***]
- (iv) a Vice-Chancellor of a University of Uttar Pradesh to be ¹⁸[nominated by the Chairperson of the General Council];
- (v) one nominee of the Bar Council of India from amongst its members;
- (vi) five eminent persons in the field of law to be ¹⁸[nominated by the Chairperson of the General Council].
- ¹⁹[(2) The Chief Minister of Uttar Pradesh shall be the Chairperson of the General Council and the Vice-Chancellor of the University shall be the Secretary of the General Council:

Provided that in the event of the Chief Minister of Uttar Pradesh not being able to Chair the meeting of the General Council, he shall then nominate any Cabinet Minister of Uttar Pradesh to chair the meeting of the General Council.]

- 10. Term of Office of members of the General Council.—(1) The term of the office of the nominated members of the General Council shall subject to sub-sections (2) and (3) be three years.
- (2) When a person is nominated as a member of the General Council, he shall cease to be such member if his nomination as such is withdrawn by the nominating body or person as the case may be.
- (3) A member of the General Council shall cease to be a member, if he resigns or becomes of unsound mind, or becomes insolvent or is convicted of a criminal offence involving moral turpitude or if a member other than the ²⁰[Vice-Chancellor] accepts a full-time appointment in the ²¹[University] or if he fails to attend three consecutive meetings of the General Council without the leave granted by the ²²[Chairperson] or acts against the interests of the ²¹[University].
- (4) A member of General Council may resign his office by a letter addressed to the ²²[Chairperson] and such resignation shall take effect as soon as it has been accepted by the ²²[Chairperson].
- (5) Any vacancy in the General Council shall be filled either by appointment or nomination, as the case may be, of a person by the respective authority entitled to make the same and the person so appointed or nominated shall hold office so long only as the member in whose place he is appointed or nominated could hold office if the vacancy had not occurred.
- 11. Powers of the General Council.—The General Council shall have the following powers, namely:—
 - (i) to appoint the ²⁰[Vice-Chancellor] of the ²¹[University] under the provisions of this Act;

^{17.} Omitted by U.P. Act 5 of 2009, S. 3(a). Prior to omission it read as:

[&]quot;(iii) two members of Uttar Pradesh Legislative Assembly one of whom shall be from the ruling party and another from the opposition party, to be nominated by the Speaker of the Legislative Assembly;"

^{18.} Subs. for "nominated by the State Government" by U.P. Act 5 of 2009, S. 3(b).

^{19.} Subs. by Act 9 of 2015, S. 3, dated 7-9-2015. Prior to substitution it read as:

[&]quot;(2) The Chief Minister of Uttar Pradesh shall be the Chairperson of the General Council and the Vice-Chancellor of the University shall be the Secretary of the General Council.

^{20.} Subs. for "Director" by U.P. Act 5 of 2009, S. 2.

^{21.} Subs. for "Sansthan" by U.P. Act 35 of 2006, S. 2.

^{22.} Subs. for "Chairman" by U.P. Act 5 of 2009, S. 2.

S. 12] DOCTOR RAM MANOHAR LOHIYA NATIONAL LAW UNIVERSITY UTTAR PRADESH ACT, 2005

- (ii) to exercise the powers and functions of the ²³ [University] referred to in Section 5 except where such powers are given to some other authority or officer of the ²³ [University] under the provisions of this Act;
- (iii) to review from time to time the broad policies and programmes of the ²³[University] and to take measures for the improvement and development of the ²³[University];
- (iv) to consider and pass resolutions as deemed fit on the annual report, financial estimates, annual accounts and the audit reports on such accounts;
- (v) to delegate all or any of its powers to the ²⁴ [Vice-Chancellor] or any committee or any sub-committee or to any one or more of its members; and
- (vi) to perform such other functions as it may deem necessary for the efficient functioning and administration of the ²³[University].
- **12. Meetings of the General Council.**—(1) The General Council shall meet at least once in a year and ²⁵[at least ten days notice] shall be given for its meetings.
- (2) The ²⁶[Chairperson] shall preside over the meeting of the General Council and in his absence, any member duly authorised by the ²⁶[Chairperson] shall preside over the meeting.
- (3) One-third of the total number of members of the General Council shall form a quorum for a meeting.
- (4) Each member shall have one vote and if there be equality of votes on any question to be determined by the General Council, the ²⁶[Chairperson] or the person presiding over the meeting shall, in addition, have a casting vote.
- (5) If urgent action by the General Council becomes necessary, the ²⁶[Chairperson] may permit the business to be transacted by circulation of papers to the members of the General Council. The action proposed to be taken shall not be taken unless agreed to by one-third of the total members of the General Council. The action so taken shall be forthwith intimated to all the members of the General Council and the papers shall be placed before the next meeting of ²⁷[the General Council].
- (6) A report of the working of the ²³[University] during the previous year, together with a statement of receipts and expenditure, the balance sheet as audited, and the financial estimate shall be presented by the ²⁴[Vice-Chancellor] to the General Council at its annual meeting.
- **13.** The Executive Council.—(1) The Executive Council shall be the chief executive body of the ²³[University].
- (2) The administration, management and control of the ²³[University] and the income thereof shall be vested with the Executive Council which shall control and administer the property and funds of the ²³[University].
- **14.** Constitution of the Executive Council.—(1) The Executive Council shall consist of the following members, namely:—
 - (i) the ²⁴[Vice-Chancellor];
 - (ii) three members of the General Council to be nominated by the ²⁶[Chairperson] of the General Council;

^{23.} Subs. for "Sansthan" by U.P. Act 35 of 2006, S. 2.

^{24.} Subs. for "Director" by U.P. Act 5 of 2009, S. 2.

^{25.} Subs. for "at least fifteen days notice" by U.P. Act 35 of 2006, S. 4.

^{26.} Subs. for "Chairman" by U.P. Act 5 of 2009, S. 2.

^{27.} Subs. for "the General Council for confirmation" by U.P. Act 5 of 2009, S. 4.

S. 15] DOCTOR RAM MANOHAR LOHIYA NATIONAL LAW UNIVERSITY UTTAR PRADESH ACT, 2005

- ²⁸[(*ii-a*) The Chairman, Bar Council of India or his nominee;]
 - (iii) the Chairman of the State Bar Council, Uttar Pradesh;
 - (iv) the Secretary-in-charge of Judicial Department, Government of Uttar Pradesh;
 - (v) the Secretary-in-charge of Finance Department, Government of Uttar Pradesh;
 - (vi) the Secretary-in-charge of Higher Education Department, Government of Uttar Pradesh;
 - (vii) two eminent educationists ²⁹[nominated by the Chairperson of the General Council];
 - (viii) two persons of social eminence ³⁰ [nominated by the Chairperson of the General Council];
 - (ix) two ³¹ [senior professors] of the ³² [University], by rotation according to seniority.
- (2) The ³³[Vice-Chancellor] shall be the ³⁴[Chairperson] of Executive Council and the Registrar shall be the Secretary of the Executive Council.
- 15. Term of office of Executive Council.—(1) Where a person has become a member of the Executive Council by reason of the office or appointment he holds, his membership shall terminate when he ceases to hold that office or appointment.
- (2) A member of the Executive Council shall cease to be a member thereof if he resigns or becomes of unsound mind or becomes insolvent or is convicted of a criminal offence involving moral turpitude or if member other than the ³³[Vice-Chancellor] or a member of a faculty accepts a full-time appointment in the ³²[University] or if he fails to attend three consecutive meetings of the Executive Council without the leave granted by the ³⁴[Chairperson] of the Executive Council or acts against the interests of the ³²[University].
- (3) Members of the Executive Council shall relinquish their membership on the expiry of three years from the date on which they become members of the Executive Council unless the membership of the Executive Council is previously terminated as provided in the above sub-sections but shall be eligible for renomination or reappointment, as the case may be.
- (4) A member of the Executive Council other than ex officio member may resign his office by a letter addressed to the ³⁴[Chairperson] of the Executive Council and such resignation shall take effect as soon as it has been accepted by the ³⁴[Chairperson] of the Executive Council.
- (5) Any vacancy in the Executive Council shall be filled either by appointment or nomination, as the case may be, by the respective authority entitled to make the same and on the expiry of the period of the vacancy such appointment or nomination shall cease to be effective.
- 16. Powers and functions of the Executive Council.—Without prejudice to the provisions of Section 11, the Executive Council shall have the following powers and functions:

^{28.} Ins. by U.P. Act No. 26 of 2006, S. 3 (w.e.f. 14-7-2006).

^{29.} Subs. for "nominated by the State Government" by U.P. Act 5 of 2009, S. 5(a).

^{30.} Subs. for "nominated by the State Government" by U.P. Act 5 of 2009, S. 5(a).

^{31.} Subs. for "wholetime senior professors" by U.P. Act 5 of 2009, S. 5(b).

^{32.} Subs. for "Sansthan" by U.P. Act 35 of 2006, S. 2.

^{33.} Subs. for "Director" by U.P. Act 5 of 2009, S. 2.

^{34.} Subs. for "Chairman" by U.P. Act 5 of 2009, S. 2.

S. 17] DOCTOR RAM MANOHAR LOHIYA NATIONAL LAW UNIVERSITY UTTAR PRADESH ACT, 2005

- (i) to create teaching posts in the ³⁵ [University] and to determine the qualifications, emoluments and duties attached thereto with the prior approval of the State Government after considering the recommendations of the Academic Council;
- (ii) to appoint from time to time, Professors, Readers, Lecturers, other members of the teaching staff, the Librarian and such other members of the teaching staff as may be necessary on the recommendations of the Selection Committee ³⁶ [constituted under Section 25 in such manner as may be prescribed];
- (iii) to create administrative, ministerial and other necessary posts to determine the minimum qualifications and emoluments of such posts with the prior approval of the State Government;
- (iv) to manage and regulate the finances, accounts investments, property, business and all other administrative affairs of the ³⁵[University];
- (v) to invest any money belonging to the ³⁵[University] including any unapplied income, in such stock funds, shares or securities, as it may, from time to time, deem fit or in the purchase of immovable property in India, with the like power of varying such investments from time to time;
- (vi) to transfer or accept transfers of any movable or immovable property on behalf of the ³⁵[University]:

Provided that no immovable property shall be transferred to the third party without the prior approval of the State Government.

- (vii) to enter into, vary, carry out and cancel contracts on behalf of the ³⁵[University] and for that purpose to appoint such officers as it may deem fit;
- (viii) to provide the buildings, premises, furniture and apparatus and other means needed for carrying on the work of the ³⁵[University];
- (ix) to entertain, adjudicate and to redress any grievances of the Officer of the ³⁵[University], the teacher, the students and employees who may, for any reason, feel aggrieved;
- (x) to appoint examiners and moderators, and if necessary to remove them and to fix their fees, emoluments and travelling and other allowances, after consulting the Academic Council;
- (xi) to select a common seal for the ³⁵[University] and to provide for the custody of the seal;
- (xii) to make such regulations as may, from time to time be considered necessary for regulating the affairs and the management of the ³⁵[University] and to alter, modify and to rescind them;
- (xiii) to delegate any of its powers except the powers to make regulations to any Officer or Authority either temporarily or permanently; and
- (xiv) to exercise such other powers and to perform such other duties as may be conferred or imposed on it by or under this Act.
- 17. Reservation in admissions and appointments.—(1) The Executive Council may, by regulations, provide for reservations of seats to the residents of the State of Uttar Pradesh and Members of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other backward classes as defined in the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes,

^{35.} Subs. for "Sansthan" by U.P. Act 35 of 2006, S. 2.

^{36.} Subs. for "constituted by regulations for the purpose" by U.P. Act 35 of 2006, S. 5.

Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994 in admission to the various courses.

- (2) The provision of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994 and the orders and instructions issued from time to time by the State Government with respect to reservation shall be applicable to the posts to be filled by direct recruitment or by promotion in every existing teaching or non-teaching staff of the ³⁷[University].
- **18. Meetings of the Executive Council.**—(1) The Executive Council shall meet at least once in three months and not less than ³⁸[ten days notice] shall be given for such meeting.
- (2) The ³⁹[Chairperson] of the Executive Council shall preside over a meeting of the Executive Council, and in his absence the members present shall elect a person from amongst themselves to preside over the meeting.
- (3) One-third of the total members of the Executive Council, shall form the quorum at any meeting thereof.
- (4) Each member of the Executive Council shall have one vote and if there shall be equality of votes on any question to be determined by the Executive Council, the ³⁹[Chairperson] of the Executive Council, or as the case may be, the member presiding over that meeting shall, in addition, have a casting vote.
- 19. Constitution of Standing Committee and appointment of ad hoc committees by the Executive Council.—(1) Subject to the provisions of this Act or the regulations made in this behalf the Executive Council may by resolution, constitute such standing committees or appoint ad hoc committees for such purposes and with such powers as the Executive Council may think fit for exercising any power or discharging any function of the ³⁷[University] or for enquiring into, reporting or advising upon any matter relating to the ³⁷[University].
- (2) The Executive Council may co-opt persons to a standing committee or an ad hoc committee as it considers suitable and may permit them to attend the meetings of the Executive Council.
- ⁴⁰ [(3) If an urgent action by the Executive Council becomes necessary, the Chairperson of the General Council may permit the business to be transacted by circulation of papers to the members of the Executive Council. The action proposed under this sub-section shall not be taken unless agreed to by one-third of the total members of the Executive Council. The action so taken shall be forthwith intimated to all the members of the Executive Council and the matter shall be reported in the next meeting of the Executive Council.]
- **20. Academic Council.**—The Academic Council shall be the academic body of the ³⁷[University] and shall, subject to the provision of this Act and the regulations, have power of control and general regulation of, and be responsible for, the maintenance of standards of instructions, education and examination of the ³⁷[University] and shall exercise such other powers and perform such other duties as may be conferred or imposed upon it by this Act or the regulations. It shall have the right to advise the Executive Council on all academic matters.

^{37.} Subs. for "Sansthan" by U.P. Act 35 of 2006, S. 2.

^{38.} Subs. for "fifteen days notice" by U.P. Act 35 of 2006, S. 6.

^{39.} Subs. for "Chairman" by U.P. Act 5 of 2009, S. 2.

^{40.} Ins. by U.P. Act 5 of 2009, S. 6.

- **21.** Constitution of the Academic Council.—(1) The Academic Council shall consist of the following members, namely:—
 - (i) the ⁴¹[Vice-Chancellor], who shall be the ⁴²[Chairperson] thereof;
 - (ii) three persons from amongst the educationists of repute or men of letters or members of any profession or eminent public men, who are not in service of the ⁴³[University] nominated by ⁴⁴[the Chairperson];
 - (iii) the Secretary-in-charge of Judicial Department, Government of Uttar Pradesh or his nominee not below the rank of Special Secretary;
 - (iv) a nominee of the Bar Council of Uttar Pradesh;
 - (v) all the Heads of the Department of the ⁴³[University];
 - (vi) all Professors other than the Heads of the Department, if any;
 - (vii) two members of the teaching staff, one each representing ⁴⁵[the Associate Professors/Assistant Professors and Lecturers of the University].
 - (2) The term of the members other than ex officio members shall be three years.
- (3) Where a person has become a member of the Academic Council by reason of the office or appointment he holds, his membership shall terminate when he ceases to hold such office of appointment.
- (4) A member of the Academic Council shall cease to be a member thereof if he resigns or becomes of unsound mind or becomes insolvent or is convicted of a criminal offence involving moral turpitude or if a member other than the ⁴¹[Vice-Chancellor] or a member of faculty accepts full-time appointment in the ⁴³[University] or if he fails to attend three consecutive meetings of the Academic Council without the leave of the ⁴²[Chairperson] of the Academic Council.
- (5) Unless the membership of the Academic Council thereof is previously terminated as provided in the foregoing sub-sections, members of the Academic Council shall relinquish their membership on the expiry of three years from the date on which they become members of the Academic Council but shall be eligible for renomination or reappointment, as the case may be:
- (6) A member of the Academic Council other than an ex officio member may resign his office by a letter addressed to the ⁴²[Chairperson] of the Academic Council and such resignation shall take effect as soon as it has been accepted by the ⁴²[Chairperson] of the Academic Council.
- (7) Any vacancy in the Academic Council shall be filled either by appointment or nomination, as the case may be, by the respective authorities to make the same.
- **22. Powers and duties of the Academic Council.**—Subject to the provisions of this Act or the regulations, the Academic Council shall in addition to all other powers vested in it, have the following powers, namely:—
 - (i) to report on any matter referred to or delegated to it by the General Council or the Executive Council;
 - (ii) to make recommendations to the Executive Council with regard to the creation, abolition or classification of teaching posts in the ⁴³[University] and the qualifications, emoluments and duties attached thereto;

^{41.} Subs. for "Director" by U.P. Act 5 of 2009, S. 2.

^{42.} Subs. for "Chairman" by U.P. Act 5 of 2009, S. 2.

^{43.} Subs. for "Sansthan" by U.P. Act 35 of 2006, S. 2.

^{44.} Subs. for "the Chairman in consultation with the General Council" by U.P. Act 5 of 2009, S. 7.

^{45.} Subs. for "the Readers and Lecturers of the Sansthan" by U.P. Act 35 of 2006, S. 7.

S. 23] DOCTOR RAM MANOHAR LOHIYA NATIONAL LAW UNIVERSITY UTTAR PRADESH ACT, 2005

- (iii) to formulate and modify or revise schemes for organisation of the faculties and to assign to such faculties their respective subjects and also to report the Executive Council as to the expediency of the abolition or sub-division of any faculty or the combination of one faculty with another;
- (iv) to promote research within the ⁴⁶[University] and to require, from time to time, report on such research;
- (v) to consider proposals submitted by the faculties;
- (vi) to lay norms and to appoint committees for admission to the 46 [University];
- (vii) to recognise diplomas and degrees of other Universities and Institutions and to determine their equivalence in relation to the diplomas and degree of the ⁴⁶[University];
- (viii) to fix, subject to any conditions accepted by the General Council, the time, mode and conditions of competitions for fellowship, scholarship and other prizes and to award the same;
 - (ix) to make recommendations to the Executive Council in regard to the appointment of examiners and if necessary their removal and the fixation of their fees, emoluments and travelling and other expenses;
 - (x) to make arrangements for the conduct of examinations and to fix dates for holding them;
 - (xi) to declare the results of the various examinations or to appoint committees or officers to do so, and to make recommendations regarding the conferment or grant of degrees, honours, diplomas, licences, titles and marks of honour;
- (xii) to award stipends, scholarship, medals and prizes and to make other awards in accordance with the regulations and such other conditions as may be attached to the awards;
- (xiii) to publish list of prescribed or recommended textbooks and to publish syllabus of the prescribed courses of study;
- (xiv) to prepare such forms and registers as are, from time to time, prescribed by regulations; and
- (xv) to perform, in relation to academic matters, all such duties and to do all such acts as may be necessary for the proper carrying out the provisions of this Act and the regulations.
- **23.** Meetings of the Academic Council.—(1) The Academic Council shall meet as often as may be necessary, but not less than twice during an academic year.
- (2) The ⁴⁷[Chairperson] of the Academic Council shall preside over the meeting of the Academic Council, and in his absence, the members present shall elect a person from amongst themselves to preside over the meeting.
- (3) One-half of the total number of members of the Academic Council shall form the quorum for a meeting of the Academic Council.
- (4) Each member of the Academic Council shall have one vote and if there shall be equality of votes on any question to be determined by the Academic Council, the ⁴⁷[Chairperson] of the Academic Council, or as the case may be, the member presiding over the meeting shall, in addition, have a casting vote.

^{46.} Subs. for "Sansthan" by U.P. Act 35 of 2006, S. 2.

^{47.} Subs. for "Chairman" by U.P. Act 5 of 2009, S. 2.

- **24.** The Finance Committee.—(1) There shall be a Finance Committee consisting of the following members, namely:—
 - (i) the ⁴⁸[Vice-Chancellor];
 - (ii) one member nominated by the General Council from amongst its members;
 - (iii) one member nominated by the Executive Council from amongst its members;
 - (iv) the Secretary-in-charge, Department of Higher Education, Uttar Pradesh or his nominee not below the rank of Special Secretary;
 - (v) the Secretary-in-charge of Judicial Department, Government of Uttar Pradesh or his nominee not below the rank of Special Secretary;
 - (vi) the Secretary-in-charge, Finance Department, Uttar Pradesh or his nominee not below the rank of Special Secretary;
 - (vii) the Registrar;
 - (viii) the Finance Officer-Member Secretary.
- (2) The nominated members of the Finance Committee shall hold office for a period of three years.
- (3) The Finance Committee shall have the following powers, duties and functions, namely:—
 - (i) to examine and scrutinise the annual budget of the ⁴⁹[University] and to make recommendations on financial matters to the Executive Council;
 - (ii) to consider all proposals for new expenditure and to make recommendations to the Executive Council;
 - (iii) to consider the periodical statements of accounts and to review the finances of the ⁴⁹[University] from time to time and to consider reappropriation statements and audit reports to make recommendations to the Executive Council;
 - (*iv*) to give its views and to make recommendations to the Executive Council on any financial matter affecting the ⁴⁹[University] either on its own initiative or on reference from the Executive Council or the ⁴⁸[Vice-Chancellor].
- (4) The Finance Committee shall meet at least once in six months. Three members of the Finance Committee shall form the quorum.
- (5) The ⁴⁸[Vice-Chancellor] shall preside over the meetings of the Finance Committee, and in his absence, the members present shall elect a person from amongst themselves to preside over the meeting.
- **25. Selection Committee.**—(1) The Executive Council shall constitute a Selection Committee for making recommendations to the Executive Council for appointment to the posts of teachers and other employees in the ⁴⁹[University].
 - (2) The Selection Committee shall consist of the following members, namely:—
 - (i) the ⁴⁸[Vice-Chancellor] who shall be the ⁵⁰[Chairperson] of the Committee;
 - (ii) the Head of the Department concerned, if any who is not lower in rank than that of the post for which selection is to be made;
 - (iii) (a) Where an appointment is to be made for any teaching post, three experts nominated by the ⁴⁸[Vice-Chancellor] from amongst a panel of names recommended by the Academic Council and approved by the Executive Council;

^{48.} Subs. for "Director" by U.P. Act 5 of 2009, S. 2.

^{49.} Subs. for "Sansthan" by U.P. Act 35 of 2006, S. 2.

^{50.} Subs. for "Chairman" by U.P. Act 5 of 2009, S. 2.

- (b) Where an appointment is to be made to any post other than concerned with teaching, three experts ⁵¹[in the field of the administration of this University] to be nominated by the ⁵²[Vice-Chancellor] from amongst a panel of names recommended by the Executive Council.
- (3) Where an endowment from a donor is accepted by the ⁵³ [University] for establishing a Chair, the donor may be co-opted as member of the Selection Committee for the purpose of filling in that post.
- **26.** Officers of the ⁵³[University].—The following shall be the officers of the ⁵³[University], namely:—
 - (i) the ⁵²[Vice-Chancellor];
 - (ii) the Head of the Department;
 - (iii) the Registrar;
 - (iv) the Finance Officer;
 - (v) such other officer as may be prescribed.
- **27.** The ⁵²[Vice-Chancellor].—(1) The ⁵²[Vice-Chancellor] shall be a whole-time salaried officer of the ⁵³[University]. The ⁵²[Vice-Chancellor] after the commencement of this Act shall be appointed by the General Council ⁵⁴ [from amongst eminent academicians or educationist or professors of eminence in the field of law] whose names are sent to the General Council by the Committee constituted in accordance with provisions of sub-section (2).

Provided that the first ⁵²[Vice-Chancellor] shall be appointed by the State Government.

- ⁵⁵[(1-A) Notwithstanding anything to the contrary contained in sub-clause (1), the Chairperson of the General Council, if satisfied, may grant extension for another term of five years to the Vice-Chancellor continuing in office after completing four years in office and the matter shall be reported in the next meeting of the General Council.]
- (2) The Committee referred to in sub-section (1) shall consist of the following members, namely—
 - (i) One person to be nominated by the Visitor;
 - (ii) One person to be ⁵⁶ [nominated by the Chairperson of the General Council];
 - (iii) One person to be nominated by the State Government.
- (3) The Committee shall, as far as may be, at least six months before the date on which a vacancy in the office of the ⁵²[Vice-Chancellor] is due to occur by reason of expiry of term or resignation under sub-section (4), and also whenever so required and before such date as may be specified by the General Council; submit to the General Council the names of not less than three persons suitable to hold the office of the ⁵²[Vice-Chancellor]. The Committee shall, while submitting the names, also forward to the General Council a concise statement showing the academic qualifications and other distinctions of each of the persons so recommended, but shall not indicate any order of preference.

^{51.} Subs. for "in the field of Sansthans administration" by U.P. Act 35 of 2006, S. 8.

^{52.} Subs. for "Director" by U.P. Act 5 of 2009, S. 2.

^{53.} Subs. for "Sansthan" by U.P. Act 35 of 2006, S. 2.

^{54.} Subs. for "from amongst persons" by U.P. Act 35 of 2006, S. 9(a).

^{55.} *Ins.* by U.P. Act 5 of 2009, S. 8(a).

^{56.} Subs. for "nominated by the General Council" by U.P. Act 5 of 2009, S. 8(b).

(4) The ⁵⁷[Vice-Chancellor] shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office ⁵⁸[* * *]:

Provided that the ⁵⁷[Vice-Chancellor] may by writing under his hand addressed to the ⁵⁹[Chairperson] of the General Council resign his office, and shall cease to hold his office on the acceptance by the General Council of such resignation.

- (5) Subject to the provisions of this Act, the emoluments and other conditions of service of the ⁵⁷[Vice-Chancellor] shall be such as may be prescribed.
- (6) The ⁵⁷[Vice-Chancellor] shall not be entitled to the benefit of any pension, insurance or provident fund.
- (7) The ⁵⁹[Chairperson] of the General Council may appoint any suitable person to the office of ⁵⁷[Vice-Chancellor] for a term not exceeding six months if the vacancy in the office of ⁵⁷[Vice-Chancellor] occurs or is likely to occur by reason of leave or any other cause, not being resignation or expiry of term, of which a report shall forthwith be made by the Registrar to the ⁵⁹[Chairperson] of the General Council.
- (8) If in the opinion of the General Council, the ⁵⁷[Vice-Chancellor] wilfully omits or refuses to carry out the provisions of this Act or abuses the powers vested in him, or if it otherwise appears to the General Council that the continuance of the ⁵⁷[Vice-Chancellor] in office is detrimental to the interest of the ⁶⁰[University], the General Council may, after making proper inquiry which shall be completed preferably within six months, remove the ⁵⁷[Vice-Chancellor] by an order after giving him an opportunity of being heard.
- (9) During the pendency or in contemplation, of any inquiry referred to in subsection (8) the General Council may order that till further orders—
 - (a) such ⁵⁷[Vice-Chancellor] shall refrain from performing the functions of the office of ⁵⁷[Vice-Chancellor], but shall continue to get the emoluments to which he was otherwise entitled under sub-section (5).
 - (b) the functions of the office of the ⁵⁷[Vice-Chancellor] shall be performed by the person specified in the order.
 - (10) The ⁵⁷[Vice-Chancellor] shall—
 - (a) ensure that the provisions of this Act and the Regulations are duly observed and shall have all powers as are necessary for that purpose;
 - (b) subject to the specific and general directions of the Executive Council, the ⁵⁷[Vice-Chancellor] shall exercise all powers of the Executive Council in the management and administration of the ⁶⁰[University];
 - (c) convene the meetings of the General Council, the Executive Council, the Academic Council and shall perform all other acts, as may be necessary to give effect to the provisions of this Act;
 - (d) have all powers relating to the proper maintenance of discipline in the ⁶⁰[University].

^{57.} Subs. for "Director" by U.P. Act 5 of 2009, S. 2.

^{58.} The words "or till he/she completes the age of sixty-five years, whichever is earlier" *omitted* by U.P. Act 35 of 2006, S. 9(*b*).

^{59.} Subs. for "Chairman" by U.P. Act 5 of 2009, S. 2.

^{60.} Subs. for "Sansthan" by U.P. Act 35 of 2006, S. 2.

- (11) If, in the opinion of the ⁶¹[Vice-Chancellor], any emergency has arisen, which requires immediate action, he shall take such action as he deems necessary and shall report the same for confirmation, in the next meeting, of the authority concerned which in the ordinary course would have dealt with the matter.
- **28.** Heads of the Departments.—(1) There shall be a Head of the Department for each of the departments in the ⁶²[University].
- (2) The powers, functions, appointments and the conditions of service of the Heads of the Departments shall be as prescribed by the regulations.
- **29.** The Registrar.—(1) The Registrar shall be a whole-time officer of the ⁶²[University]. He shall be appointed by the State Government from amongst the senior administrative officers of the State.
- (2) The Registrar shall be the ex-officio Secretary of the Executive Council, Academic Council, and the faculties, but shall not be deemed to be a member of any of these authorities.
 - (3) The Registrar shall:
 - (i) comply with all directions and orders of the Executive Council and the ⁶¹[Vice-Chancellor];
 - (ii) be the custodian of the records, common seal and such other property of the ⁶²[University] as the Executive Council shall commit to his charge;
 - (*iii*) issue all notices convening meeting of the Executive Council, the Academic Council, the Finance Committee, the faculties, the Board of studies and of any committee, appointed by the authorities of the ⁶²[University];
 - (*iv*) keep the minutes of all meetings of the Executive Council, the Academic Council, the Finance Committee, the faculties and any committee appointed by the authorities of the ⁶²[University];
 - (v) conduct the official correspondence of the Executive Council and the Academic Council;
 - (vi) supply the visitor the copies of the agenda of the meetings of the authorities of the ⁶²[University] as soon as they are issued and the minutes of the meetings of the authorities ordinarily within a month of the holding of the meeting;
 - (vii) call a meeting of the Executive Council forthwith in an emergency, when neither the ⁶¹[Vice-Chancellor] nor the officer duly authorised is able to act and to take its directions for carrying on the work of the ⁶²[University];
 - (viii) represent the ⁶²[University] in suits or proceedings by or against the ⁶²[University], sign powers of attorney and verify the pleadings or depute representatives for the purpose;
 - (ix) be directly responsible to the ⁶¹[Vice-Chancellor] for the proper discharge of his duties and functions:
 - (x) perform such other duties as may be assigned to him from time to time, by the Executive Council or the ⁶¹[Vice-Chancellor] under the provisions of this Act or the regulations.
- (4) In the event of the post of the Registrar remaining vacant for any reason, the ⁶¹[Vice-Chancellor] may authorise any officer in the service of the ⁶²[University] to exercise such powers, functions, and the duties of the Registrar as the ⁶¹[Vice-Chancellor] deems fit.

^{61.} Subs. for "Director" by U.P. Act 5 of 2009, S. 2.

^{62.} Subs. for "Sansthan" by U.P. Act 35 of 2006, S. 2.

- **30.** The Finance Officer.—(1) The Finance Officer shall be appointed by the State Government.
 - (2) The Finance Officer shall,—
 - (a) present the budget (annual estimates) and the statement of accounts to the Executive Council and also draw and disburse funds on behalf of the ⁶³[University];
 - (b) speak in and otherwise take part in the proceedings, pertaining to matters of finance, of the Executive Council except voting;
 - (c) ensure that no expenditure, not authorised in the budget is incurred by the ⁶³[University] (otherwise than by way of investment);
 - (d) disallow any proposed expenditure which may contravene the provision of this Act or regulations;
 - (e) ensure that no financial irregularity is committed and take steps to set right any irregularities pointed out during audit;
 - (f) ensure that the property and investments of the ⁶³[University] are duly preserved and managed;
 - (g) to exercise general supervision over the funds of the 63 [University];
 - (h) advise in financial matter either suo motu or on his advice being sought;
 - (i) collect the incomes, disburse the payments and maintain the accounts of the ⁶³[University];
 - (j) ensure that the registers of buildings, lands, items of furniture and equipments are maintained up to date and that stock checking of equipment and other consumable material is conducted regularly in the ⁶³[University];
 - (k) probe into any unauthorised expenditure and other financial irregularities and suggest to the competent authority, disciplinary action against persons at fault;
 - (*l*) perform such other duties in respect of financial matters as may be assigned to him by the Executive Council or the ⁶⁴[Vice-Chancellor].
- (3) In the event of the post of the Finance Officer remaining vacant for any reason the ⁶⁴[Vice-Chancellor] may authorise any officer in the service of the ⁶³[University] to exercise such powers, functions and the duties of the Finance Officer as the ⁶⁴[Vice-Chancellor] deems fit.
- **31. Other Officers and Employees.**—(1) Subject to the regulations made for the purpose every other officer or employee of the ⁶³[University] shall be appointed under written contract setting out the conditions of service as prescribed by the regulations which shall be lodged with the ⁶³[University] and a copy thereof furnished to the officer or employee concerned.
- (2) Any dispute arising out of the contract between the ⁶³[University] and any of its officers or employees shall, at the request of the officer or the employee concerned, or at the instance of the ⁶³[University] be referred to a Tribunal for arbitration consisting of three members appointed by the Executive Council as prescribed by the regulations.
- **32.** How to make regulations.—(1) The Executive Council may make regulations for carrying out the provisions of this Act :

^{63.} Subs. for "Sansthan" by U.P. Act 35 of 2006, S. 2.

^{64.} Subs. for "Director" by U.P. Act 5 of 2009, S. 2.

Provided that the Executive Council shall not make any regulations affecting the status, powers or constitution of any authority of the ⁶⁵[University] until such authority has been given an opportunity of expressing an opinion in writing on the proposed changes, and any opinion so expressed shall be considered by the Executive Council:

Provided further that except with the prior concurrence of the Academic Council, the Executive Council shall not make, amend or repeal any regulation affecting any or all of the following matters, namely—

- (i) the constitution, powers and duties of the Academic Council;
- (ii) the authorities responsible for organising teaching in connection with the ⁶⁵[University] courses and related academic programmes;
- (iii) the withdrawal of degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions:
- (iv) the establishment and abolition of faculties, departments, halls and institutions;
- (v) the institution of fellowships, scholarships, studentships, exhibitions, medals and prizes;
- (vi) conditions and modes of appointment of examiners or conduct or standard of examinations or any other course of study;
- (vii) mode of enrolment or admission of students;
- (viii) examinations to be recognised as equivalent to examinations of the ⁶⁵[University].
- (2) The Academic Council shall have the power to propose regulations on all the matters specified in clauses (i) to (viii) of sub-section (1) and matters connected therewith or incidental thereto.
- (3) Where the Executive Council has rejected the draft of any regulation proposed by the Academic Council, the Academic Council may appeal to the Visitor ⁶⁶ [and the Visitor shall, by order, direct] that the proposed regulations may be laid before the next meeting of the General Council for its approval and that pending such approval of the General Council it shall have effect from such date ⁶⁷ [as may be specified in the order of the Visitor]:

Provided that if any regulation is not approved by the General Council at such meeting, it shall cease to have effect.

- (4) All regulations made by the Executive Council shall be placed before the General Council at its next meeting, and the General Council shall have the power to amend or cancel any regulation made by the Executive Council.
- **33. Appointment of Review Commission**.—(1) The Visitor shall at least once in every five years constitute a commission to review the working of the ⁶⁵[University] and to make recommendations.
- (2) The Commission shall consist of not less than three eminent educationists in the field of law one of whom shall be the ⁶⁸[Chairperson] of such Commission appointed by the Visitor in consultation with the State Government.

^{65.} Subs. for "Sansthan" by U.P. Act 35 of 2006, S. 2.

^{66.} Subs. for "and the Visitor may, by order, direct" by U.P. Act 5 of 2009, S. 9(a).

^{67.} Subs. for "as may be specified in that order" by U.P. Act 5 of 2009, S. 9(b).

^{68.} Subs. for "Chairman" by U.P. Act 5 of 2009, S. 2.

S. 34] DOCTOR RAM MANOHAR LOHIYA NATIONAL LAW UNIVERSITY UTTAR PRADESH ACT, 2005

- (3) The terms and conditions of the appointment of the members referred to in subsection (2) shall be such as the Visitor may determine.
- (4) The Commission shall, after holding such enquiry as it deems fit, make its recommendation to the Visitor.
- (5) The Visitor may take such action on the recommendations of the Commission as he deems fit.
- **34. Fund of the** ⁶⁹[University].—(1) There shall be a Fund of the ⁶⁹[University] which shall include,—
 - (i) any contribution or grant made by the State Government;
 - (ii) any contribution or grant made by the University Grants Commission or the Central Government;
 - (iii) any contribution made by the State Bar Council;
 - (iv) any bequests, donations, endowments or other grants made by private individuals or institutions;
 - (v) income received by the ⁶⁹[University] from fees and charges; and
 - (vi) amounts received from any other source; but shall not include any funds received from any agency for sponsoring a scheme.
- (2) The amount in the Fund of the ⁶⁹[University] shall be kept in a Scheduled Bank as defined in the Reserve Bank of India Act, 1934 (Act No. 2 of 1934) or in a corresponding new bank constituted under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (Act No. 5 of 1970) and the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (Act No. 40 of 1980) or may be invested in such securities authorized by the Indian Trusts Act, 1882 (Act No. 2 of 1882) as may be decided by the Executive Council.
- (3) The Fund of the ⁶⁹[University] may be utilised for such purpose of the ⁶⁹[University] and in such manner as may be prescribed.
- **35.** The Annual Accounts and Audit.—(1) The Annual Accounts and the balance sheet of the ⁶⁹[University] shall be prepared under the directions of the Executive Council.
- (2) The accounts of the ⁶⁹[University] shall, at least once in a year, be audited by the ⁷⁰[Director], Local Funds Accounts, Uttar Pradesh or by such person or persons as the State Government may authorise in this behalf.
- (3) The accounts when audited shall be published by the Executive Council and a copy of the accounts together with the audit report shall be placed before the General Council and shall also be submitted to the State Government.
- (4) The Annual Accounts shall be considered by the General Council at its annual meeting. The General Council may pass resolutions with reference thereto and communicate the same to the Executive Council. The Executive Council shall consider the suggestions made by the General Council and take such action thereon as it deems fit. The Executive Council shall inform the General Council at its next meeting, all actions taken by it or the reasons for not taking action.

^{69.} Subs. for "Sansthan" by U.P. Act 35 of 2006, S. 2.

^{70.} *Subs.* for "Director" by U.P. Act 5 of 2009, S. 2. **Ed.**: However, retained as "Director" as requested vide letter No. 177918/NLU Lko/Admin/P-18/2012, dated 12-10-2018. The Publisher, Eastern Book Company EBC Publishing Pvt. Ltd. takes no responsibility for the change.

- **36. Financial estimates**.—(1) The Executive Council shall prepare before such date as may be prescribed by the regulations, the financial estimates for the ensuing year and place the same before the General Council.
- (2) The Executive Council may, in case where the expenditure in excess of the amount provided in the budget is to be incurred or in cases of urgency for reasons to be recorded in writing, incur expenditure subject to such restrictions and conditions as may be prescribed. Where no provision has been made in the budget in respect of such excess expenditure a report shall be made to the General Council at its next meeting.
- **37.** Surcharge.—(1) An officer specified in Section 26 shall be liable to surcharge for the loss, waste or misapplication of any money or property of the ⁷¹[University], if such loss, waste or misapplication is a direct consequence of his neglect or misconduct.
- (2) The procedure of surcharge and the manner of recovery of the amount involved in such loss, waste or misapplication shall be such as may be prescribed.
- **38.** Execution of Contracts.—All contracts relating to the management and administration of the ⁷¹[University] shall be expressed as made by the Executive Council, and shall be executed by the ⁷²[Vice-Chancellor] when the value of the contract is above ten lakhs of rupees and by the Registrar, when its value does not exceed ten lakhs of rupees.
- **39. Grant of Law Degree, Diploma, etc. by the** ⁷¹[**University**].—The ⁷¹[University] shall have power to grant Degrees, Diplomas and other academic distinctions and titles under this Act.
- **40. Honorary Degree**.—If not less than two-third of the members of Academic Council, recommend that an honorary degree or academic distinction be conferred on any person on the ground that he is in their opinion by reason of eminent attainment and position, fit and proper to receive such degrees or academic distinction, the General Council may, by a resolution, decide that the same may be conferred on the person recommended.
- 41. Withdrawal of a degree or a diploma.—The General Council, may, on the recommendation of the Executive Council, withdraw any distinction, degree, diploma or privilege conferred on or granted to any person by a resolution passed by the majority of the total membership of the General Council and by a majority of not less than two-third of the members of the General Council present and voting at the meeting, if such person has been convicted by a court of law for an offence, which in the opinion of the General Council involves moral turpitude or if he has been guilty of gross misconduct.
- (2) No action under this section shall be taken against any person unless he has been given an opportunity to show cause against the action proposed to be taken.
- (3) A copy of the resolution passed by the General Council shall be immediately sent to the person concerned.
- (4) Any person aggrieved by the decision taken by the General Council may appeal to the Visitor within thirty days from the date of the receipt of such resolution.
 - (5) The decision of the Visitor in such appeal shall be final.

^{71.} Subs. for "Sansthan" by U.P. Act 35 of 2006, S. 2.

^{72.} Subs. for "Director" by U.P. Act 5 of 2009, S. 2.

- **42. Transfer of property.**—The State Government may transfer to the ⁷³[University] buildings, lands and any other property whether movable or immovable for use and management by the ⁷³[University] on such conditions and subject to such limitations as the State Government may deem fit for the purpose of this Act.
- **43. Discipline**.—(1) The final authority responsible for maintenance of discipline among the students of the ⁷³[University] shall be the ⁷⁴[Vice-Chancellor]. His directions in that behalf shall be carried out by the Heads of the Department, hostels and institutions of the ⁷³[University].
- (2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) the ⁷⁵[punishment of] rustication from the ⁷³[University] or a hostel or an institution, shall on the report of the ⁷⁴[Vice-Chancellor] be considered and imposed by the Executive Council:

Provided that no such punishment shall be imposed without giving to the student concerned a reasonable opportunity to show cause against the action proposed to be taken against him.

- ⁷⁶[(3) If any student is aggrieved by the order of the Executive Council, he may prefer an appeal to the Chairperson of the General Council within a period of thirty days from the date of the receipt of the order of such punishment passed by the Executive Council.]
- **44. Sponsored schemes.**—Whenever the ⁷³[University] receives funds from any Government, the University Grants Commission or other agencies sponsoring a scheme to be executed by the ⁷³[University], notwithstanding anything in this Act and regulations,—
 - (a) the amount so received shall be kept by the ⁷³[University] separately from the Fund of the ⁷³[University] and utilised only for the purposes of the scheme; and
 - (b) the staff required to execute the scheme shall be recruited in accordance with the terms and conditions stipulated by the sponsoring organisation.
- **45.** Proceedings of authorities of bodies not invalidated by vacancies.—(1) Notwithstanding that the General Council, the Executive Council, the Academic Council or any other authority or body of the ⁷³[University] is not duly constituted or there is a defect in its constitution or re-constitution at any time and notwithstanding that there is no act or proceeding of any authority, committee or body of the ⁷³[University] shall be invalid merely by reasons of—
 - (a) any vacancy in or defect in the constitution thereof; or
 - (b) any defect in the election, nomination or appointment of a person acting as a member thereto; or
 - (c) any irregularity in its procedure not affecting the merits of the case.

^{73.} Subs. for "Sansthan" by U.P. Act 35 of 2006, S. 2.

^{74.} Subs. for "Director" by U.P. Act 5 of 2009, S. 2.

^{75.} Subs. for "punishment of debarring a student from the examination or" by U.P. Act 5 of 2009, S. 10(a).

^{76.} *Ins.* by U.P. Act 5 of 2009, S. 10(*b*).

- (2) No resolution of any authority or body of the ⁷⁷[University] shall be deemed to be invalid on account of any irregularity in the service of notice upon any member provided that the proceedings of such authority or body if not prejudicially affected by such irregularity.
- **46. Removal of difficulties.**—If any difficulty arises with respect to the establishment of the ⁷⁷[University] or in connection with the first meeting of any authority of the ⁷⁷[University] or otherwise in giving effect to the provisions of this Act and the regulations, the State Government may, at any time, before all authorities of the ⁷⁷[University] have been constituted, by order, make any appointment or do anything consistent, so far as may be, with the provisions of this Act, which appear to it necessary or expedient for the purpose of removing the difficulty and every such order shall have effect as if such appointment or action had been made or taken in the manner provided in this Act:

Provided that before making any such order the State Government shall ascertain and consider the report in this behalf, if any, of the ⁷⁸ [Vice-Chancellor] and such appropriate authority of the ⁷⁷ [University] as may have been constituted:

Provided further that no such order shall be made after two years of the date of notification of this Act.

- 47. Transitory provisions.—Notwithstanding anything contained in this Act and the regulations made thereunder the ⁷⁸[Vice-Chancellor] may, with the previous approval of the ⁷⁹[Chairperson] of the General Council and subject to the availability of funds, discharge all or any of the functions of the ⁷⁷[University] for the purpose of carrying out the provisions of this Act and the regulations and for that purpose may exercise any powers or perform any duties, which by this Act and the regulations are to be exercised or performed by any authority of the ⁷⁷[University] until such authority comes into existence as provided by this Act and the regulations.
- **48. Indemnity**.—No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against and no damages shall be claimed from the ⁷⁷[University], the ⁷⁸[Vice-Chancellor], the authorities or officers of the ⁷⁷[University] or any other person in respect of anything which is done or purported to have been done in good faith in pursuance of this Act or any regulations.
- **49.** Act to have overriding effect.—The provisions of this Act and any regulation shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force or in any instrument having effect by virtue of any law other than this Act.

^{77.} Subs. for "Sansthan" by U.P. Act 35 of 2006, S. 2.

^{78.} Subs. for "Director" by U.P. Act 5 of 2009, S. 2.

^{79.} Subs. for "Chairman" by U.P. Act 5 of 2009, S. 2.

डाक्टर राम मनोहर लोहिया '[राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश अधिनियम], 2005²

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 2005] (जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

लखनऊ उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्रीय विधि ³[विश्वविद्यालय] की स्थापना एवं निगमन और उससे सम्बन्धित एवं आनुषांगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिये

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

उद्देश्य और कारण.—यद्यपि उत्तर प्रदेश में अनेक महाविद्यालय और विश्वविद्यालय विधि विषय में शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, तथापि उत्कृष्ट अवस्थापना सुविधाओं की कमी के कारण राज्य के बहुत से प्रतिभाशाली छात्रों को अन्य राज्यों, यथा कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में स्थापित राष्ट्रीय विधि विद्यालय और विश्वविद्यालय/राष्ट्रीय विधि संस्थानों में प्रवेश प्राप्त करने में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। राज्य में विधि शिक्षा के उन्नयन हेतु विधिवेत्ताओं; शिक्षाविदों, अभिभावकों तथा छात्रों द्वारा उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्रीय विधि संस्थान की स्थापना हेतु निरन्तर मांग की जा रही है। अतएव, यह विनिश्चय किया गया है कि विधि और विधिक प्रक्रिया की जानकारी एवं ज्ञान की अभिवृद्धि करने और विद्यार्थियों एवं शोध छात्रों में वकालत, न्यायिक और अन्य विधिक सेवाओं तथा विधान एवं तत्समान विषयों में कौशल का विकास करके विधि के क्षेत्र में समाज सेवा के प्रति उत्तरदायित्व की भावना का विकास करने के लिए लखनऊ, उत्तर प्रदेश में "डा० राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि संस्थान" उत्तर प्रदेश के नाम से एक विधि संस्थान की स्थापना करने के लिये विधि बनायी जाय।

तदनुसार डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि संस्थान उत्तर प्रदेश विधेयक, 2005 पुर:स्थापित किया जाता है।

- **1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) यह अधिनियम डाक्टर राम मनोहर लोहिया ¹[राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश अधिनियम], 2005 कहा जाएगा।
 - (2) यह ऐसे दिनांक* को प्रवृत्त होगा जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे।
 - 2. परिभाषाएं. —जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में, —
 - (एक) "विद्या परिषद" का तात्पर्य धारा 21 के अधीन गठित 4 [विश्वविद्यालय] की विद्या परिषद से है;
 - (दो) "⁵[कुलपति]" का तात्पर्य धारा 27 के अधीन नियुक्त ⁴[विश्वविद्यालय] के ⁵[कुलपति] से है;
 - (तीन) "कार्य परिषद" का तात्पर्य धारा 14 के अधीन गठित 4 [विश्वविद्यालय] की कार्य परिषद से है;

^{1.} उ. प्र. अधिनियम सं. 35 सन् 2006 की धारा 2 द्वारा "राष्ट्रीय विधि संस्थान उत्तर प्रदेश अधिनियम" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

^{2.} दिसम्बर 16, 2005 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई और उ. प्र. गजट, असाधारण, भाग 1, खण्ड (क) में दिनांक 19 दिसम्बर, 2005 को प्रकाशित हुआ।

^{3.} उ. प्र. अधिनियम सं. 35 सन् 2006 की धारा 2 द्वारा "संस्थान" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

^{*} जनवरी 4, 2006 [*देखि*ऐ अधिसूचना सं. 19/सत्तर-1-06-80(6)-2005 टी.सी., दिनांक 4-1-2006]।

^{4.} उ. प्र. अधिनियम सं. 35 सन् 2006 की धारा 2 द्वारा "संस्थान" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

^{5.} उ. प्र. अधिनियम सं. 5 सन् 2009 की धारा 2 द्वारा "निदेशक" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2005

- (चार) "महा-परिषद" का तात्पर्य धारा 9 के अधीन गठित ⁶[विश्वविद्यालय] की महापरिषद से है;
- (पांच) "विहित" का तात्पर्य विनियमावली द्वारा विहित से है;
- (छ:) "कुल-सचिव" का तात्पर्य धारा 29 के अधीन नियुक्त ⁶[विश्वविद्यालय] के कुल-सचिव से है;
- (सात) "विनियमावली" का तात्पर्य धारा 32 के अधीन बनायी गयी ⁶[विश्वविद्यालय] की विनियमावली से है;
- (आठ) "⁶[विश्वविद्यालय]" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन स्थापित डाक्टर राम मनोहर लोहिया ⁷[राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय] उत्तर प्रदेश से है;
 - (नौ) "प्रभारी सिचव" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार के सम्बन्धित विभाग के यथास्थिति, प्रमुख सिचव या सिचव से है;
- (दस) "राज्य के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा ⁶[विश्वविद्यालय] में तैनात किये गये भारतीय प्रशासनिक सेवा और प्रान्तीय सिविल सेवा उत्तर प्रदेश के अधिकारियों से है;
- (ग्यारह) "अध्यापक" का तात्पर्य ऐसे अध्यापक से है जो ⁶[विश्वविद्यालय] द्वारा ⁶[विश्वविद्यालय] में शिक्षण और अनुसंधान कार्य में मार्गदर्शन और संचालन के लिये नियोजित हो;
- (बारह) "कुलाध्यक्ष" का तात्पर्य धारा 7 में निर्दिष्ट ⁶[विश्वविद्यालय] के कुलाध्यक्ष से है;
- 3. 6 [विश्वविद्यालय] की स्थापना और निगमन.—(1) ऐसे दिनांक से जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे, डाक्टर राम मनोहर लोहिया 7 [राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय], उत्तर प्रदेश के नाम से उत्तर प्रदेश राज्य में इस 6 [विश्वविद्यालय] की स्थापना की जायेगी;
 - (2) ⁶[विश्वविद्यालय] एक निगमित निकाय होगा।
 - (3) ⁶[विश्वविद्यालय] का मुख्यालय लखनऊ में होगा।
 - (4) इस धारा के अधीन स्थापित किये जाने वाले सस्थान के सम्बन्ध में,—
 - (क) राज्य सरकार ⁶[विश्वविद्यालय] के अन्तरिम अधिकारियों को नियुक्त करेगी ⁶[विश्वविद्यालय] के अन्तरिम प्राधिकरणों का ऐसी रीति से जिसे वह उचित समझे, करेगी;
 - (ख) खण्ड (क) के अधीन नियुक्त अधिकारी और गठित प्राधिकरणों के खण्ड (ग) के अनुसार अधिकारियों की नियुक्ति या प्राधिकरणों का गठन है या ऐसे अन्य पूर्वतर दिनांक तक जैसा राज्य सरकार इस निमित नियत करेगी, धारण करेंगे:

परन्तु राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसे प्राधिकरणों के सदस्य कार्यकाल दो वर्ष से अनिधक अविध के लिए बढ़ा सकती है;

- (ग) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार ⁶[विश्वविद्यालय] के अधिकारियों की नियुक्ति तथा प्राधिकरणों के गठन के लिये इस प्रकार कार्यवाही करेगी कि खण्ड (ख) के अधीन अन्तरिम अधिकारियों तथा सदस्यों की अलग-अलग पदाविध की समाप्ति के पूर्व उसे पूरा किया जा सके।
- **4.** 6 [विश्वविद्यालय] के उद्देश्य.— 6 [विश्वविद्यालय] के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे—
- (एक) विधि और विधिक प्रक्रियाओं के अध्ययन और ज्ञान और राष्ट्रीय विकास में उनकी भूमिका का प्रसार करना और अग्रसर करना;

^{6.} उ. प्र. अधिनियम सं. 35 सन् 2006 की धारा 2 द्वारा "संस्थान" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

^{7.} उ. प्र. अधिनियम सं. 35 सन् 2006 की धारा 2 द्वारा "राष्ट्रीय विधि संस्थान" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

- (दो) छात्र और अनुसंधानविद् में वकालत, न्यायिक और अन्य विधिक सेवाओं, विधान, विद्यमान विधियों में विधि सुधार और तत्समान के सम्बन्ध में कौशल का विकास करके विधि के क्षेत्र में समाज सेवा के प्रति उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना:
- (तीन) विधिक ज्ञान का संवर्धन करने और विधि एवं विधिक प्रक्रिया को सामाजिक विकास का दक्ष माध्यम बनाने के लिए व्याख्यानों, सेमिनारों, परिसंवादों और सम्मेलनों का आयोजन करना;
- (चार) परीक्षाओं का आयोजन करना तथा उपाधियों और अन्य शैक्षिक विशिष्टियाँ प्रदान करना और;
- (पांच) ऐसे सभी अन्य कार्य करना जो संस्था के सभी या किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये आनुषंगिक आवश्यक या साधक हों।
- **5.** 8 [विश्वविद्यालय] की शक्तियाँ और कृत्य.— 8 [विश्वविद्यालय] की निम्नलिखित शक्तियाँ और कृत्य होंगे—
 - (एक) अनुसंधान, शिक्षा और शिक्षण के लिए ⁸[विश्वविद्यालय] और ऐसे केन्द्रों का प्रशासन और प्रबन्ध करना जो ⁸[विश्वविद्यालय] के प्रयोजनों को अग्रसर करने के लिए आवश्यक हों;
 - (दो) विधि से सम्बन्धित ज्ञान या अध्ययन की ऐसी शाखाओं में जिनमें ⁸[विश्वविद्यालय] ठीक समझे, शिक्षण की व्यवस्था करना और अनुसंधान के लिए तथा विधिक ज्ञान के अभिवर्द्धन तथा प्रसार के लिए उपबन्ध करना;
 - (तीन) विधि, न्याय तथा सामाजिक विकास के सभी पहलुओं में अनुसंधान प्रायोजित करना तथा उसका दायित्व लेना:
 - (चार) किसी उपाधि या उपाधि पत्र (डिप्लोमा) हेतु अध्ययन पाठ्यक्रम के लिए ⁸[विश्वविद्यालय] में छात्रों के प्रवेश के लिए अईताएं विहित करना और उन्हें विनियमित करना:
 - (पांच) निवेश-वाह्य अध्यापन तथा विस्तार सेवाओं का आयोजन करना तथा उनका दायित्व लेना;
 - (छ:) परीक्षाओं का आयोजन करना और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जैसी ⁸[विश्वविद्यालय] अवधारित करें, व्यक्तियों को डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र स्वीकृत करना और उन्हें उपाधियाँ एवं विद्या सम्बन्धी अन्य विशेष उपाधियाँ प्रदान करना और किन्हीं ऐसे डिप्लोमा, प्रमाण-पत्रों, उपाधि या अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधियों को उचित व पर्याप्त कारणों से वापस लेना;
 - (सात) मानद उपाधि या अन्य विशेष उपाधियों को निर्धारित रीति से प्रदान करना;
 - (आठ) फीस और अन्य प्रभारों को नियत करना, उनकी माँग करना और उन्हें प्राप्त करना;
 - (नौ) हालों और छात्रावासों को संस्थित करना और उनका रख-रखाव करना और ⁸[विश्वविद्यालय] के छात्रों के लिए निवास स्थानों को मान्यता प्रदान करना और किसी ऐसे निवास स्थल को प्रदान की गयी ऐसी मान्यता को वापस लेना;
 - (दस) निवास स्थल का पर्यवेक्षण और नियन्त्रण करना और ⁸[विश्वविद्यालय] के छात्रों के अनुशासन को विनियमित करना और उनके स्वास्थ्य के विकास के लिए व्यवस्था करना;
 - (ग्यारह) विद्यार्थियों के निवास, अनुशासन और शिक्षण के लिए व्यवस्था करना;
 - (बारह) राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से शैक्षिक, प्राविधिक, प्रशासनिक, लिपिक वर्गीय और अन्य पदों का सृजन करना;
 - (तेरह) [विश्वविद्यालय] के कर्मचारियों में अनुशासन विनियममित और प्रवर्तित करना और ऐसे अनुशासनात्मक उपाय करना जो आवश्यक समझे जायं;

^{8.} उ. प्र. अधिनियम सं. 35 सन् 2006 की धारा 2 द्वारा "संस्थान" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2005

- (चौदह) आचार्य पदों, ⁹[सह/सहायक आचार्य पदों], प्राध्यापक पदों और ¹⁰[विश्वविद्यालय] द्वारा अपेक्षित किन्हीं अन्य अध्यापन, शैक्षिक या अनुसंधान पदों को राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से संस्थित करना;
- (पन्द्रह) आचार्यो, उपाचार्यो, प्राध्यापकों के रूप में या अन्यथा ¹⁰[विश्वविद्यालय] के अध्यापक और अनुसंधानविदों के रूप में व्यक्तियों की नियुक्ति करना;
- (सोलह) अध्येतावृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ, पारितोषिक और पदक संस्थित करना और उन्हें प्रदान करना;
- (सत्रह) अनुसंधान और अन्य कार्यों के मुद्रण, प्रतिलिपि और प्रकाशन की व्यवस्था करना और प्रदर्शनियाँ आयोजित करना;
- (अठ्ठारह) विधि, न्याय, सामाजिक विकास और सहबद्ध विषयों में शिक्षा प्रशिक्षण और अनुसंधान के मामले में किसी अन्य संगठन से, ऐसे प्रयोजनों के लिए जिसके सम्बन्ध में तय किया गया हो ऐसे निबन्धन और शर्तों पर जिन्हें ¹⁰[विश्वविद्यालय] समय-समय पर अवधारित करे, सहकार करना;
- (उन्नीस) अध्यापकों और विद्वानों के आदान-प्रदान और सामान्यतः ऐसी रीति से जो सामान्य उद्देश्यों के लिए साधक हो, विश्व के किसी भाग में उच्चतर अध्ययन की ऐसी संस्थाओं से जिनके उद्देश्य पूर्णतः या अंशतः ¹⁰[विश्वविद्यालय] के उद्देश्यों के सदृश हों, सहकार करना;
 - (बीस) ¹⁰[विश्वविद्यालय] के व्ययों का विनियमन करना और लेखाओं का प्रबंध करना;
- (इक्कीस) ¹⁰[विश्वविद्यालय] के परिसर के भीतर या अन्यत्र ऐसी कक्षाओं और अध्ययन हालों की स्थापना और रख-रखाव करना जिन्हें ¹⁰[विश्वविद्यालय] आवश्यक समझे और उनकी पर्याप्त रूप से साज-सज्जा करना और ऐसे पुस्तकालयों और अध्ययन कक्षों की स्थापना और उनका रख-रखाव करना जो ¹⁰[विश्वविद्यालय] के लिए सुविधाजनक और आवश्यक प्रतीत हों;
 - (बाइस) ¹⁰[विश्वविद्यालय] के प्रयोजनों के लिए और उन उद्देश्यों के सुसंगत जिनके लिए ¹⁰[विश्वविद्यालय] की स्थापना की गयी है, अनुदान, आर्थिक सहायता, अभिदान, संदान और उपहार प्राप्त करना;
 - (तेईस) किसी ऐसे भूमि, भवन या संकर्म को, जो ¹⁰[विश्वविद्यालय] के प्रयोजन के लिए आवश्यक और सुविधाजनक हो, ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जिसे वह ठीक व उचित समझे, पट्टे पर लेना अथवा उपहार के रूप में या अन्यथा स्वीकार करना और ऐसे किसी भवन या निर्मिति का निर्माण करना या उसमें परिवर्तन करना या उसका रख-रखाव करना;
- (चौबीस) ¹⁰[विश्वविद्यालय] के हित और क्रियाकलापों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जैसी ¹⁰[विश्वविद्यालय] ठीक और उचित समझे, ¹⁰[विश्वविद्यालय] की समस्त सम्पत्तियों या उसके किसी भाग का, चाहे वह जंगम हो या स्थावर विक्रय करना, आदान-प्रदान करना, पट्टे पर देना या अन्यथा व्ययन करना:

परन्तु जहाँ सम्पत्तियों का सृजन राज्य या केन्द्र सरकार की वित्तीय सहायता से किया गया हो, वहाँ राज्य सरकार का पूर्वानुमोदन आवश्यक होगा।

- (पच्चीस) भारत सरकार सम्बन्धी और अन्य बचत-पत्रों, विनिमय पत्रों, चेकों या अन्य परक्राम्य लिखतों को आहरित और स्वीकार करना, तैयार करना और पृष्ठांकित करना, मितिकाटे पर भुगतान करना और परक्रामण करना;
- (छब्बीस) राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से सम्पत्ति के सम्बन्ध में चाहे वह जंगम हो या स्थावर, जिसके अन्तर्गत ¹⁰[विश्वविद्यालय] की या ¹⁰[विश्वविद्यालय] के प्रयोजन के लिए अर्जित की जाने वाली सरकारी प्रतिभूतियाँ भी हैं, हस्तान्तरण पत्र, अन्तरण, प्रतिहस्तान्तरणों, बन्धकों, पट्टों, लाइसेन्सों और करारों का निष्पादन करना;

^{9.} उ. प्र. अधिनियम सं. 35 सन् 2006 की धारा 3 द्वारा "उपाचार्य पदों" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

^{10.} उ. प्र. अधिनियम सं. 35 सन् 2006 की धारा 2 द्वारा "संस्थान" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

- (सत्ताइस) किसी लिखत को निष्पादित करने या ¹¹[विश्वविद्यालय] के किसी कारोबार का संव्यवहार करने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति को, जिसे वह ठीक समझे, नियुक्त करना;
- (अठ्ठाइस) अनुदान प्राप्त करने के लिए केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य प्राधिकरणों के साथ कोई करार करना;
- (उन्तीस) बन्धपत्रों, बंधकों, वचनपत्रों या अन्य दायित्वों या प्रतिभूतियों पर, जो ¹¹[विश्वविद्यालय] की समस्त या किन्हीं सम्पत्तियों और आस्तियों पर निधिकृत या आधारित हों या बिना किसी प्रतिभूति के और ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जैसा वह ठीक समझे, धन जुटाना और उधार लेना और ¹¹[विश्वविद्यालय] की निधि से समस्त व्ययों का, जो धन जुटाने के आनुषांगिक हो, का भुगतान करना और उधार लिये गये किसी धन का भुगतान और मोचन करना;
 - (तीस) ¹¹[विश्वविद्यालय] की निधियों या ¹¹[विश्वविद्यालय] को न्यस्त निधियों का ऐसी प्रतिभूतियों में या पर और ऐसी रीति से जैसी वह उचित समझे, का विनिधान करना और समय-समय पर किसी विनिधान का अन्तर्विनिमय करना:
- (इक्तीस) शैक्षणिक, प्राविधिक, प्रशासनिक और अन्य कर्मचारिवृन्द के लाभार्थ, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जैसी विनियमावली द्वारा विहित की जायं, जैसे पेंशन, बीमा, भविष्य निधि और उपदान की स्थापना करना जैसा वह उचित समझे और ऐसे अनुदान देना जैसा वह ¹¹[विश्वविद्यालय] के किन्हीं कर्मचारियों के लाभार्थ उचित समझे और ऐसे संघों, संस्थाओं, निधियों, न्यासों और हस्तान्तरण की स्थापना व समर्थन में सहायता करना जो ¹¹[विश्वविद्यालय] के कर्मचारिवृन्द और छात्रों के लिए लाभप्रद हों;
- (बत्तीस) ऐसे सभी अन्य कार्य व कृत्य करना, जिन्हें ¹¹[विश्वविद्यालय] अपने सभी या किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति या विस्तार के लिए आवश्यक सहायक या आनुषंगिक समझे।
- **6.** ¹¹[विश्वविद्यालय] में अध्यापन.—(1) ¹¹[विश्वविद्यालय] की उपाधियों, डिप्लामाओं और प्रमाण-पत्रों के सम्बन्ध में सभी मान्यता प्राप्त अध्यापन ¹¹[विश्वविद्यालय] के अध्यापकों द्वारा, महापरिषद के नियंत्रण के अधीन यथा विहित पाठ्यक्रम के अनुसार संचालित किये जायेंगे;
- (2) पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या और ऐसा अध्यापन आयोजित करने के लिए उत्तरदायी प्राधिकारी ऐसे होंगे जैसे विहित किए जायें।
- 7. 11 [विश्वविद्यालय] के कुलाध्यक्ष.— 12 [(1) भारत के मुख्य न्यायाधीश विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष होंगे:

परन्तु यदि भारत के मुख्य न्यायाधीश विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष का पद धारण करने के लिये अपनी सहमति नहीं देते हैं, तो वे भारत के उच्चतम न्यायालय के किसी आसीन न्यायाधीश को विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष का पद धारण करने के लिये नामनिर्दिष्ट करेंगे।

(2) कुलाध्यक्ष को किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जैसा वह निर्देश दे, ¹¹[विश्वविद्यालय], उसके भवन, पुस्तकालय तथा उपस्कर और ¹¹[विश्वविद्यालय] द्वारा अनुरक्षित किसी संस्था एवं ¹¹[विश्वविद्यालय] द्वारा संचालित या कराई गयी परीक्षा, अध्यापन कार्य तथा अन्य कार्य का भी निरीक्षण कराने का और उसी प्रकार ¹¹[विश्वविद्यालय] के प्रशासन और वित्त से सम्बन्धित किसी विषय के सम्बन्ध में जाँच कराने का अधिकार होगा;

^{11.} उ. प्र. अधिनियम सं. 35 सन् 2006 की धारा 2 द्वारा "संस्थान" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

^{12.} उ. प्र. अधिनियम सं. 9 सन् 2015, दिनांक 7-9-2015 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापन से पूर्व निम्न रूप में पढें—

[&]quot;(1) भारत के मुख्य न्यायाधीश विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष होंगे:

परन्तु यदि भारत के मुख्य न्यायाधीश कुलाध्यक्ष का पद धारण करने के लिए अपनी सहमित नहीं देते हैं तो राज्य सरकार भारत के किसी पूर्व मुख्य न्यायाधीश को विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष का पद धारण करने के लिए ऐसी रीति और ऐसी शर्तों और निबन्धनों पर, जैसा विहित किया जाये, नामनिर्दिष्ट कर सकती है।"

डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2005

- (3) कुलाध्यक्ष प्रत्येक मामले में निरीक्षण या जाँच कराये जाने के अपने आशय के सम्बन्ध में ¹³[विश्वविद्यालय] को सूचना देगा और ¹³[विश्वविद्यालय] एक ऐसा प्रतिनिधि नियुक्त करने का हकदार होगा जिसे ऐसे निरीक्षण या जाँच में उपस्थित होने और उसे सुने जाने का अधिकार होगा;
- (4) कुलाध्यक्ष ऐसे निरीक्षण या जाँच के परिणाम के सम्बन्ध में ¹⁴[कुलपित] को लिख सकेगा और ¹⁴[कुलपित] कुलाध्यक्ष के विचारों एवं साथ में ऐसी सलाह के बारे में, जो कुलाध्यक्ष ने उस पर की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में प्रदान की हो, महापरिषद को संसूचित करेगा;
- (5) महापरिषद ऐसे निरीक्षण या जाँच पर स्वयं द्वारा प्रस्तावित कार्यवाही या की गयी कार्यवाही, यदि कोई हो, के सम्बन्ध में ¹⁴[कुलपित] के माध्यम से कुलाध्यक्ष को संसूचित करेगी।
 - **8.** 13 [विश्वविद्यालय] के प्राधिकारी. 13 [विश्वविद्यालय] के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे $^{-13}$
 - (1) महापरिषद;
 - (2) कार्य परिषद्;
 - (3) विद्या परिषद;
 - (4) वित्त समिति; और
 - (5) ऐसे अन्य प्राधिकारी जो विहित किये जायें।
- **9. महापरिषद.**—(1) ¹³[विश्वविद्यालय] की एक महापरिषद होगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्—

एक — पदेन सदस्य

- (एक) मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश
- (दो) मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद
- (तीन) मंत्री, विधि, उत्तर प्रदेश सरकार
- (चार) मंत्री, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश सरकार
- (पाँच) महाधिवन्ता, उत्तर प्रदेश
- [(पाँच-क) अध्यक्ष, बार कौंसिल आफ इण्डिया] 15
 - (छ:) अध्यक्ष, राज्य बार कौंसिल, उत्तर प्रदेश
 - (सात) प्रभारी सचिव, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार
 - (आठ) प्रभारी सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार
 - (नौ) प्रभारी सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार
 - (दस) ¹³[विश्वविद्यालय] का ¹⁴[कुलपति]

दो — नामनिर्दिष्ट व्यक्ति

- (एक) उच्च न्यायालय, इलाहाबाद का एक न्यायाधीश, जो मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा नामनिर्दिष्ट होगा;
- (दो) ¹⁶[* * *]

^{13.} उ. प्र. अधिनियम सं. 35 सन् 2006 की धारा 2 द्वारा "संस्थान" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

^{14.} उ. प्र. अधिनियम सं. 5 सन् 2009 की धारा 2 द्वारा "निदेशक" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

^{15.} उ. प्र. अधिनियम सं. 26 सन् 2006 की धारा 2 द्वारा अंत:स्थापित (14-7-2006 से प्रवृत्त)।

^{16.} उ. प्र. अधिनियम सं. 5 सन् 2009 की धारा 3(क) द्वारा लोप किया गया। लोप से पूर्व निम्न रूप में पढ़ें—

[&]quot;(दो) उत्तर प्रदेश से लोक सभा के दो सदस्य, जिसमें से एक सत्ता पक्ष से और दूसरा विपक्ष से होगा, जो लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जायेंगे।"

- (ਰੀਜ) ¹⁷[***]
- (चार) उत्तर प्रदेश के किसी विश्वविद्यालय का कोई कुलपित जो ¹⁸ [महापरिषद के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट] किया जाएगा;
- (पाँच) बार कौंसिल आफ इंडिया के सदस्यों में से उसका एक नामनिर्देशिती;
- (छ:) विधिक क्षेत्र में प्रतिष्ठित पाँच सदस्य जो ¹⁸[महापरिषद के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट] किये जायेंगे।
- 19 [(2) उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री महापरिषद् का अध्यक्ष (चेयर परसन) होगा और विश्वविद्यालय का कुलपित महापरिषद् का सचिव होगा :

परन्तु यदि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री महापरिषद् के अधिवेशन की अध्यक्षता करने में असमर्थ रहता है, तो वह उत्तर प्रदेश के किसी कैबिनेट मंत्री को महापरिषद् के अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिये नामनिर्दिष्ट करेगा।

- 10. महापरिषद के सदस्यों की पदावधि.—(1) महापरिषद के नामनिर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि, उपधारा (2) और (3) के अधीन होते हुए, तीन वर्ष होगी।
- (2) जब कोई व्यक्ति महापरिषद के सदस्य के रूप नामनिर्दिष्ट कर लिया जाय तो वह यदि इस रूप में उसका नाम निर्देशन यथास्थिति नामनिर्देशक निकाय या व्यक्ति द्वारा वापिस ले लिया जाय, ऐसा सदस्य नहीं रह जायेगा।
- (3) महापरिषद् का कोई सदस्य नहीं रह जायेगा यदि वह त्यागपत्र दे दे या विकृत मस्तिष्क का हो जाय या दिवालिया हो जाय या ऐसे दाण्डिक अपराध जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्विलत हो, के लिए दोषसिद्ध ठहराया जाय या यदि ²⁰[कुलपित] से, भिन्न कोई सदस्य संस्था में पूर्णकालिक नियुक्ति स्वीकार कर ले या यदि वह ²¹ [अध्यक्ष (चेयर परसन)] से छुट्टी स्वीकृत कराये बिना महापरिषद् की तीन लगातार अधिवेशनों में उपस्थित रहने में विफल रहे या ²²[विश्वविद्यालय] के हितों के प्रतिकूल कार्य करे।
- (4) महापरिषद का कोई सदस्य 21 [अध्यक्ष (चेयर परसन)] को सम्बोधित एक पत्र द्वारा अपने पद से त्याग पत्र दे सकता है और और 21 [अध्यक्ष (चेयर परसन)] द्वारा ऐसा त्यागपत्र स्वीकृत करते ही त्यागपत्र प्रभावी हो जाएगा।
- (5) महापरिषद में, ऐसे सम्बन्धित प्राधिकारी, जो नियुक्ति या नामनिर्देशन करने के लिए हकदार हो, द्वारा किसी व्यक्ति की, यथास्थिति, कोई रिक्ति या तो नियुक्ति द्वारा भरी जायगी या नामनिर्देशन द्वारा और इस प्रकार नियुक्त या नामनिर्देष्ट व्यक्ति पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि वह सदस्य जिसके स्थान पर उसे नियुक्त या नामनिर्दिष्ट किया गया है, यदि नियुक्ति न हुई होती, पद पर बना रहता;
 - 11. महापरिषद की शक्तियाँ.—महापरिषद की निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी, अर्थात्—
 - (एक) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन ²²[विश्वविद्यालय] के ²⁰[कुलपति] की नियुक्ति करना;

^{17.} उ. प्र. अधिनियम सं. 5 सन् 2009 की धारा 3(क) द्वारा लोप किया गया। लोप से पूर्व निम्न रूप में पढ़ें—

[&]quot;(तीन) उत्तर प्रदेश विधान सभा के दो सदस्य, जिनमें से एक सत्ता पक्ष से और दूसरा विपक्ष से होगा, विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जायेंगे।"

^{18.} उ. प्र. अधिनियम सं. 5 सन् 2009 की धारा 3(ख) द्वारा "राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

^{19.} उ. प्र. अधिनियम सं. 9 सन् 2015, दिनांक 7-9-2015 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापन से पूर्व निम्न रूप में पढ़ें—

[&]quot;(2) उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री महापरिषद का अध्यक्ष (चेयर परसन) होगा और विश्वविद्यालय का कुलपित महापरिषद का सचिव होगा।"

^{20.} उ. प्र. अधिनियम सं. 5 सन् 2009 की धारा 2 द्वारा "निदेशक" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

^{21.} उ. प्र. अधिनियम सं. 5 सन् 2009 की धारा 2 द्वारा "अध्यक्ष" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

^{22.} उ. प्र. अधिनियम सं. 35 सन् 2006 की धारा 2 द्वारा ''संस्थान'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।

डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2005

- (दो) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन धारा 5 में निर्दिष्ट ²³ [विश्वविद्यालय] के कृत्यों और शक्तियों, ऐसी शक्तियों को छोड़कर जहाँ वे ²³ [विश्वविद्यालय] के किसी अन्य प्राधिकारी या अधिकारी को प्रदान की गयी हों, का प्रयोग करना;
- (तीन) ²³[विश्वविद्यालय] की व्यापक नीतियों और उसके कार्यक्रमों का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना और ²³[विश्वविद्यालय] के सुधार और विकास के लिए उपाय करना;
- (चार) वार्षिक रिपोर्ट, वित्तीय प्राक्कलनों, वार्षिक लेखाओं और ऐसे लेखाओं की संपरीक्षा रिपोर्टी पर विचार करना और ऐसे संकल्प पारित करना जैसे उचित समझे जायें:
- (पाँच) अपनी समस्त या किन्हीं शक्तियों को ²⁴[कुलपित] को या किसी समिति को या किसी उपसमिति को या अपने किसी एक या उससे अधिक सदस्यों को प्रत्यायोजित करना; और
- (छ:) ऐसे अन्य कृत्यों का निष्पादन करना जिन्हें वह ²³[विश्वविद्यालय] के दक्षतापूर्ण क्रियान्वयन और प्रशासन के लिए आवश्यक समझें।
- 12. महापरिषद के अधिवेशन.—(1) महापरिषद वर्ष में कम से कम एक बार अधिवेशन करेगी और उसके अधिवेशनों के लिए 25 [कम से कम दस दिन की सूचना] प्रदान की जाएगी।
- (2) महापरिषद का 26 [अध्यक्ष (चेयर परसन)] अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपिस्थिति में 26 [अध्यक्ष (चेयर परसन)] द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई सदस्य अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा।
 - (3) महापरिषद की कूल सदस्य संख्या के एक तिहाई भाग से किसी अधिवेशन की गणपूर्ति की जाएगी।
- (4) प्रत्येक सदस्य एक मत देगा और यदि महापरिषद द्वारा अवधारित किये जाने वाले किसी प्रश्न पर मत बराबर हों, तो ²⁶[अध्यक्ष (चेयर परसन)] या अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का एक अतिरिक्त निर्णायक मत देगा।
- (5) यदि महापरिषद् द्वारा आत्यियिक स्वरूप का कार्य आवश्यक हो जाय, तो ²⁶[अध्यक्ष (चेयर परसन)] महापरिषद के सदस्यों में पत्र के परिचालन द्वारा कारोबार को संव्यवहृत किये जाने की अनुज्ञा प्रदान कर सकता है। प्रस्तावित कार्यवाही तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि महापरिषद के कुल सदस्यों के एक तिहाई द्वारा सहमति न हो जाए। इस प्रकार की गयी कार्यवाही के संबंध में महापरिषद के समस्त सदस्यों को तत्काल संसूचित किया जाएगा और कागज-पत्रों को ²⁷[महापरिषद की आगामी बैठक के समक्ष] रखा जाएगा।
- (6) पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान ²³[विश्वविद्यालय] के कार्यकलापों की रिपोर्ट एवं साथ में प्राप्तियों और व्यय का विवरण, यथासंपरीक्षित तुलन-पत्र और वित्तीय प्राक्कलन ²⁴[कुलपित] द्वारा महापरिषद के समक्ष उसकी वार्षिक अधिवेशन में प्रस्तुत किये जायेंगे।
 - 13. कार्य परिषद्.—(1) कार्य परिषद् ²³ [विश्वविद्यालय] की मुख्य कार्यकारी निकाय होगी।
- (2) ²³[विश्वविद्यालय] का प्रशासन, प्रबंध और नियंत्रण और उसकी आय कार्य-परिषद् में निहित होगी जो ²³[विश्वविद्यालय] की सम्पत्तियों और निधियों पर नियन्त्रण और प्रशासन रखेगी।
 - 14. कार्य परिषद का गठन.—(1) कार्य परिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्—
 - (एक) ²⁴[कुलपति];
 - (दो) महापरिषद के तीन सदस्य,, जो महापरिषद के ²⁶[अध्यक्ष (चेयर परसन)] द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे;

^{23.} उ. प्र. अधिनियम सं. 35 सन् 2006 की धारा 2 द्वारा "संस्थान" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

^{24.} उ. प्र. अधिनियम सं. 5 सन् 2009 की धारा 2 द्वारा "निदेशक" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

^{25.} उ. प्र. अधिनियम सं. 35 सन् 2006 की धारा 4 द्वारा "कम से कम पन्द्रह दिन की सूचना" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

^{26.} उ. प्र. अधिनियम सं. 5 सन् 2009 की धारा 2 द्वारा "अध्यक्ष" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

^{27.} उ. प्र. अधिनियम सं. 5 सन् 2009 की धारा 4 द्वारा 'महापरिषद की आगामी अधिवेशन के समक्ष पुष्टि के लिए' के स्थान पर प्रतिस्थापित।

- ²⁸[(दो-क) अध्यक्ष, बार कौंसिल आफ इण्डिया या उसका नाम निर्देशिती];
 - (तीन) अध्यक्ष, राज्य बार कौंसिल, उत्तर प्रदेश;
 - (चार) प्रभारी सचिव, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार;
 - (पाँच) प्रभारी सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार;
 - (छ:) प्रभारी सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार;
 - (सात) ²⁹[महापरिषद के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट] दो प्रख्यात शिक्षाविद;
 - (आठ) सामाजिक ख्याति प्राप्त दो व्यक्ति, जो ³⁰[महापरिषद के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट] होंगे;
 - (नौ) ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से ³¹[विश्वविद्यालय] के दो ³²[वरिष्ठ आचार्य]।
- (2) 33 [कुलपित] कार्यपरिषद का 34 [अध्यक्ष (चेयर परसन)] होगा और कुल सचिव कार्य परिषद का सचिव होगा।
- **15. कार्य परिषद की पदावधि.**—(1) जहाँ कोई व्यक्ति स्वयं द्वारा धृत पद या नियुक्ति के कारण कार्य परिषद् की सदस्य हो, वहाँ ऐसे पद पर या ऐसी नियुक्ति में उसके न रह जाने पर उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी।
- (2) कार्य परिषद का कोई सदस्य नहीं रह जायेगा, यदि वह त्याग-पत्र दे दे या विकृत मस्तिष्क का हो जाय या दिवालिया हो जाय, या ऐसे दांडिक अपराध, जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्विलत हो, के लिए दोषसिद्ध ठहरा दिया जाय या ³³[कुलपित] से भिन्न कोई सदस्य या किसी संकाय का कोई सदस्य ³¹[विश्वविद्यालय] में पूर्णकालिक नियुक्ति स्वीकार कर ले या यदि वह कार्यपरिषद् के ³⁴[अध्यक्ष (चेयर परसन)] द्वारा अवकाश स्वीकृत कराये बिना कार्यपरिषद् की तीन लगातार अधिवेशनों में उपस्थित रहने में विफल रहे या ³¹[विश्वविद्यालय] के हितों के प्रतिकृल कार्य करे।
- (3) जब तक उपर्युक्त उपधाराओं के उपबन्धों के अनुसार कार्य परिषद की उनकी सदस्यता पहले से ही समाप्त न कर दी गयी हो, कार्य परिषद के सदस्य स्वयं द्वारा कार्य परिषद् का सदस्य बनने के दिनांक से तीन वर्ष की समाप्ति पर अपनी सदस्यता का त्याग कर देंगे, परन्तु वे, यथास्थिति, पुन:नामनिर्देशन या पुन: नियुक्ति के लिए पात्र रहेंगे।
- (4) पदेन सदस्य से भिन्न कार्य परिषद् का कोई सदस्य कार्य परिषद् के ³⁴[अध्यक्ष (चेयर परसन)] को सम्बोधित पत्र द्वारा अपने पद से त्याग-पत्र दे सकता है और ऐसा त्याग-पत्र कार्य परिषद् के ³⁴[अध्यक्ष (चेयर परसन)] द्वारा स्वीकृत करते ही प्रभावी हो जाएगा।
- (5) कार्य परिषद् में कोई रिक्ति ऐसे सम्बन्धित प्राधिकारी, जो नियुक्ति या नामनिर्देशन करने का हकदार हो, द्वारा, यथास्थिति, या तो नियुक्ति द्वारा भरी जायेगी या नामनिर्देशन द्वारा और रिक्ति की अविध समाप्त हो जाने पर ऐसी नियुक्ति या नामनिर्देशन प्रभावी नहीं रह जायगा।
- **16. कार्य परिषद् की शक्तियाँ और कृत्य**.—धारा 11 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कार्य परिषद् की निम्नलिखित शक्तियाँ और कृत्य होंगे—

^{28.} उ. प्र. अधिनियम सं. 26 सन् 2006 की धारा 3 द्वारा अंत:स्थापित (14-7-2006 से प्रवृत्त)।

^{29.} उ. प्र. अधिनियम सं. 5 सन् 2009 की धारा 5(क) द्वारा "राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

^{30.} उ. प्र. अधिनियम सं. 5 सन् 2009 की धारा 5(क) द्वारा "राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

^{31.} उ. प्र. अधिनियम सं. 35 सन् 2006 की धारा 2 द्वारा "संस्थान" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

^{32.} उ. प्र. अधिनियम सं. 5 सन् 2009 की धारा 5(ख) द्वारा "पूर्णकालिक आचार्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

^{33.} उ. प्र. अधिनियम सं. 5 सन् 2009 की धारा 2 द्वारा "निदेशक" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

^{34.} उ. प्र. अधिनियम सं. 5 सन् 2009 की धारा 2 द्वारा "अध्यक्ष" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2005

- (एक) विद्या परिषद् की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से ³⁵ [विश्वविद्यालय] में अध्यापन के पदों को सृजित करना और उनसे सम्बन्धित अर्हताओं, उपलब्धियों और कर्त्तव्यों को अवधारित करना;
- (दो) समय-समय पर नियुक्ति ³⁶[धारा 25 के अधीन इस रीति से गठित जैसी विहित की जाय] चयन सिमिति की सिफारिश पर आचार्यो, उपचार्यो, प्राध्यापकों, अध्यापन कर्मचारिवृन्द के ऐसे अन्य सदस्यों की नियुक्ति करना जो आवश्यक हो;
- (तीन) राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से प्रशासनिक, लिपिक वर्गीय एवं अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना और ऐसे पदों की न्यूनतम अर्हताओं और उपलब्धियों का अवधारण करना;
- (चार) ³⁵[विश्वविद्यालय] के वित्त, लेखाओं, विनिवेश, सम्पत्ति, कारोबार और अन्य सभी प्रशासनिक मामलों का प्रबन्ध और विनियमन करना;
- (पाँच) ³⁵[विश्वविद्यालय] के किसी धन को, जिसके अन्तर्गत अप्रयुक्त आय भी है, ऐसे स्टाक, निधियों, शेयरों या प्रतिभूतियों में, जिन्हें वह समय-समय पर ठीक समझे; या भारत में स्थावर सम्पत्ति के क्रय करने में विनिहित करना और समय-समय पर ऐसे विनिवेश में परिवर्तन करना;
- (छ:) ³⁵[विश्वविद्यालय] की ओर से किसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति का अन्तरण करना या अन्तरण को स्वीकार करना:
 - परन्तु कोई भी स्थावर सम्पत्ति राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना तीसरे पक्ष को अन्तरित नहीं की जाएगी;
- (सात) ³⁵[विश्वविद्यालय] की ओर से संविदा करना, उनमें परिवर्तन, उन्हें कार्यान्वित करना और निरस्त करना और उक्त प्रयोजन के लिए ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति करना जिन्हें वह ठीक समझे;
- (आठ) ³⁵[विश्वविद्यालय] के कार्य संचालन के लिए आवश्यक भवनों, परिसरों, फर्नीचर और साधित्र और अन्य साधनों की व्यवस्था करना;
 - (नौ) ³⁵[विश्वविद्यालय] के अधिकारियों, अध्यापकों, छात्रों और कर्मचारियों, जो किसी कारणवश व्यथित अनुभव करें, की किन्हीं शिकायतों को ग्रहण करना, उनका न्याय निर्णयन करना और उन्हें दूर करना;
- (दस) विद्या परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् परीक्षकों और परिसीमकों की नियुक्ति करना और यदि आवश्यक हो तो उन्हें हटाना और उनकी फीस, परिलब्धियों, यात्रा और अन्य भत्ते नियत करना;
- (ग्यारह) ³⁵[विश्वविद्यालय] के लिए एक सामान्य मुहर का चयन करना और मुहर की अभिरक्षा के लिए व्यवस्था करना;
- (बारह) ³⁵[विश्वविद्यालय] के कार्यकलापों और प्रबन्धन को विनियमित करने के लिए समय-समय पर ऐसे विनियम बनाना जो आवश्यक समझे जायें, और उन्हें परिवर्तित, उपान्तरित एवं विखण्डित करना;
- (तेरह) अपनी किन्हीं शक्तियों को, विनियमावली बनाने की शक्ति को छोड़कर, किसी अधिकारी या प्राधिकारी को स्थायी या अस्थाई रूप से प्रत्यायोजित करना; और
- (चौदह) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करना जो इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन उसे प्रदत्त या उस पर अधिरोपित किये जायें।
- 17. प्रवेश और नियुक्तियों में आरक्षण.—(1) कार्य परिषद् विनियमावली द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 में

^{35.} उ. प्र. अधिनियम सं. 35 सन् 2006 की धारा 2 द्वारा "संस्थान" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

^{36.} उ. प्र. अधिनियम सं. 35 सन् 2006 की धारा 5 द्वारा "प्रयोजन के लिए विनियमावली द्वारा गठित" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

यथा परिभाषित उत्तर प्रदेश राज्य के निवासियों और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों के प्रवेश में स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है।

- (2) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 के उपबन्ध और आरक्षण के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेश और अनुदेश ³⁷ [विश्वविद्यालय] के प्रत्येक विद्यमान अध्यापन या गैर-अध्यापन कर्मचारिवृन्द में सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर लागू होंगे।
- **18.** कार्य परिषद् के अधिवेशन.—(1) कार्य परिषद तीन माह में कम से कम एक बार अधिवेशन करेगी और ऐसे अधिवेशन के लिए 38 [दस दिन से अन्यून की नोटिस] दी जाएगी।
- (2) कार्य परिषद का ³⁹ [अध्यक्ष (चेयर परसन)] कार्य परिषद के अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थित में उपस्थित सदस्य अपने में से किसी सदस्य को अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए निर्वाचित करेंगे।
 - (3) कार्य परिषद के कुल सदस्यों के एक तिहाई से उसकी किसी अधिवेशन की गणपूर्ति होगी।
- (4) कार्य परिषद का प्रत्येक सदस्य एक मत देगा और यदि कार्य परिषद द्वारा अवधारित किये जाने वाले किसी प्रश्न पर मत बराबर हों तो, यथास्थिति, कार्य परिषद का ³⁹[अध्यक्ष (चेयर परसन)] या उक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले सदस्य का एक अतिरिक्त निर्णायक मत होगा।
- 19. कार्य परिषद द्वारा स्थायी समिति का गठन और तदर्थ समितियों की नियुक्ति.—(1) इस अधिनियम के उपबन्धों या इस निमित्त बनाई गई नियमावली के अधीन रहते हुए कार्य परिषद संकल्प द्वारा ऐसे प्रयोजनों के लिये और ऐसी शक्तियों से युक्त जैसी कार्य परिषद किसी शक्ति का प्रयोग करने के लिये या ³⁷[विश्वविद्यालय] के किसी कृत्य के निर्वहन के लिये या ³⁷[विश्वविद्यालय] से सम्बन्धित किसी मामले में जाँच, उस पर रिपोर्ट या सलाह देने के लिये ठीक समझे, ऐसी स्थायी समितियों का गठन या तदर्थ समितियों की नियुक्ति कर सकती है।
- (2) कार्य परिषद किसी स्थायी समिति या किसी तदर्थ समिति, जैसा वह उचित समझे, के लिये ऐसे व्यक्तियों को सहयोजित कर सकती है, और उन्हें कार्य परिषद के अधिवेशनों में सम्मिलित होने की अनुज्ञा दे सकती है।
- ⁴⁰[(3) यदि कार्य परिषद द्वारा आत्ययिक स्वरूप कार्य आवश्यक हो जाय, तो अध्यक्ष, महापरिषद के सदस्यों में पत्र के परिचालन द्वारा कारोबार संव्यवहृत किये जाने की अनुज्ञा प्रदान कर सकता है। इस उपधारा के अधीन प्रस्तावित कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी तब तक कि कार्य परिषद् के कुल सदस्यों के तिहाई द्वारा सहमित न हो जाए और प्रकरण कार्य परिषद के आगामी अधिवेशन में सूचित किया जायेगा।]
- 20. विद्या परिषद.—(1) विद्या परिषद ³⁷[विश्वविद्यालय] की शैक्षणिक निकाय होगी और इस अधिनियम और विनियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुये ³⁷[विश्वविद्यालय] में दिये जाने वाले शिक्षण, शिक्षा और परीक्षा के स्तर को बनाये रखने के लिये उत्तरदायी होगी और उसका नियंत्रण और साधारण विनियमन करेगी और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगी जो ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगी, जैसे कि उसे इस अधिनियम या विनियमावली द्वारा प्रदत्त हों या उस पर अधिरोपित किये जायें। सभी शैक्षिक मामलों में उसे कार्य परिषद की सलाह देने का अधिकार होगा।

^{37.} उ. प्र. अधिनियम सं. 35 सन् 2006 की धारा 2 द्वारा "संस्थान" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

^{38.} उ. प्र. अधिनियम सं. 35 सन् 2006 की धारा 6 द्वारा "पन्द्रह दिन से अन्यून की नोटिस" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

^{39.} उ. प्र. अधिनियम सं. 5 सन् 2009 की धारा 2 द्वारा "अध्यक्ष" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

^{40.} उ. प्र. अधिनियम सं. 5 सन् 2009 की धारा 6 द्वारा अंत:स्थापित।

डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2005

- 21. विद्या परिषद का गठन.—(1) विद्या परिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्—
- (एक) ⁴¹[कुलपित], जो उसका ⁴²[अध्यक्ष (चेयर परसन)] होगा;
- (दो) प्रख्यात शिक्षाविदों या विद्वानों या किसी वृत्ति के सदस्यों या प्रख्यात सार्वजनिक व्यक्तियों में से तीन व्यक्ति जो ⁴³ [विश्वविद्यालय] की सेवा में न हों, ⁴⁴ [अध्यक्ष (चेयर परसन) महापरिषद] द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे;
- (तीन) उत्तर प्रदेश सरकार के न्याय विभाग का प्रभारी सचिव या उसका नाम निर्देशिती जो विशेष सचिव से निम्न पंक्ति का न हो;
- (चार) उत्तर प्रदेश बार कौंसिल का एक नाम निर्देशिती;
- (पाँच) ⁴³[विश्वविद्यालय] के समस्त विभागाध्यक्ष;
- (छ:) विभागाध्यक्षों से भिन्न समस्त आचार्य, यदि कोई हों;
- (सात) अध्यापन कर्मचारिवृन्द के दो सदस्य जिनमें से एक-एक सदस्य ⁴⁵ [विश्वविद्यालय के सह आचार्यो/सहायक आचार्यों और प्राध्यापकों] का प्रतिनिधित्व करेगा।
- (2) पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी।
- (3) जहाँ कोई व्यक्ति, पद या नियुक्ति, जिसे वह धारण करता हो, के कारण से विद्या परिषद का सदस्य हो, वहाँ उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी, जब वह उस पद या नियुक्ति पर न रह जाय।
- (4) विद्या परिषद का कोई सदस्य, सदस्य नहीं रह जायेगा यदि वह त्याग-पत्र दे दे या विकृत मिस्तिष्क का हो जाय या दिवालिया हो जाय या नैतिक अधमता से अन्तर्ग्रस्त किसी दाण्डिक अपराध का सिद्ध दोष हो या यदि ⁴¹[कुलपित] से भिन्न कोई सदस्य या संकाय का कोई सदस्य ⁴³[विश्वविद्यालय] में पूर्णकालिक नियुक्ति स्वीकार ले, या यदि वह विद्या परिषद् के ⁴²[अध्यक्ष (चेयर परसन)] की छुट्टी के बिना विद्या परिषद की तीन लगातार अधिवेशनों में सम्मिलित होने में विफल रहे।
- (5) जब तक विद्या परिषद की उनकी सदस्यता पूर्वगामी उपधाराओं में यथा उपबन्धित रूप में पूर्व में समाप्त नहीं कर दी जाती है, तब तक विद्या परिषद के सदस्य उस दिनांक से, जिस पर वे विद्या परिषद के सदस्य होते हैं, तीन वर्ष के अवसान पर अपनी सदस्यता का त्याग कर देंगे किन्तु, यथास्थिति, पुन: नाम-निर्देशन या पुन:नियुक्ति के लिये पात्र होंगे।
- (6) किसी पदेन सदस्य से भिन्न विद्या परिषद का कोई सदस्य विद्या परिषद के सदस्य को सम्बोधित किसी पत्र द्वारा अपने पद से त्याग-पत्र दे सकता है और ऐसा त्याग-पत्र विद्या परिषद के ⁴²[अध्यक्ष (चेयर परसन)] द्वारा इसे स्वीकार करते ही त्याग-पत्र प्रभावी हो जायेगा।
- (7) विद्या परिषद में कोई रिक्ति, सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा उक्त को पूरा करने के लिये, यथास्थिति, नियुक्ति या नाम-निर्देशन द्वारा भरी जायेगी।
- **22. विद्या परिषद की शक्तियाँ और कर्तव्य**.—इस अधिनियम या विनियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुए विद्या परिषद को, उसमें निहित अन्य समस्त शक्तियों के अतिरिक्त, निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी, अर्थात—
 - (एक) महापरिषद या कार्य परिषद द्वारा उसे निर्दिष्ट या प्रत्यायोजित किसी विषय पर रिपोर्ट करना;
 - (दो) ⁴³[विश्वविद्यालय] में अध्यापन के पदो के सृजन, समापन या वर्गीकरण और उससे सम्बद्ध अर्हताओं, परिलब्धियों और कर्तव्यों के सम्बन्ध में कार्य परिषद को सिफारिशें करना;

^{41.} उ. प्र. अधिनियम सं. 5 सन् 2009 की धारा 2 द्वारा "निदेशक" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

^{42.} उ. प्र. अधिनियम सं. 5 सन् 2009 की धारा 2 द्वारा "अध्यक्ष" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

^{43.} उ. प्र. अधिनियम सं. 35 सन् 2006 की धारा 2 द्वारा "संस्थान" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

^{44.} उ. प्र. अधिनियम सं. 5 सन् 2009 की धारा 7 द्वारा "महापरिषद के परामर्श से अध्यक्ष" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

^{45.} उ. प्र. अधिनियम सं. 35 सन् 2006 की धारा 7 द्वारा ''संस्थान के उपाचार्यों और प्राध्यापकों'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।

- (तीन) संकायों के संगठन के लिये योजनायें निश्चित करना और उपान्तरित करना या पुनरीक्षित करना और ऐसे संकायों को उनके अपने-अपने विषयों को समनुदेशित करना और कार्य परिषद को किसी संकाय के समापन या उप-विभाजन या एक संकाय को दूसरे के साथ संयोजन की समीचीनता के संबंध में भी रिपोर्ट करना;
- (चार) ⁴⁶ [विश्वविद्यालय] के अन्तर्गत अनुसंधान का संवर्द्धन करना और ऐसे अनुसंधान पर समय-समय पर रिपोर्ट की अपेक्षा करना;
- (पाँच) संकायों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार करना;
- (छ:) ⁴⁶[विश्वविद्यालय] में प्रवेश के लिये सन्नियम बनाना और समितियाँ नियुक्त करना;
- (सात) अन्य विश्वविद्यालयों और संस्थाओं की डिप्लोमा उपाधियों को मान्यता प्रदान करना और ⁴⁶[विश्वविद्यालय] की डिप्लोमा और उपाधि के सम्बन्ध में उनकी समतूल्यता अवधारित करना;
- (आठ) महापरिषद द्वारा स्वीकृत किन्हीं शर्तों के अधीन होते हुये अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियाँ और अन्य पारितोषिकों के लिये प्रतियोगिताओं का समय, तरीका और शर्ते नियत करना और उन्हें प्रदान करना;
- (नौ) परीक्षकों की नियुक्ति और यदि आवश्यक हो, उनके हटाये जाने और उनकी फीस, परिलब्धियाँ और यात्रा और अन्य व्ययों को नियत करने के सम्बन्ध में कार्य परिषद को सिफारिश करना;
- (दस) परीक्षाओं के संचालन की व्यवस्था करना और उन्हें आयोजित करने के लिये दिनांक नियत करना;
- (ग्यारह) विभिन्न परीक्षाओं के परिणाम घोषित करना या ऐसा करने के लिये समितियों या अधिकारियों की नियुक्ति करना और उपाधियाँ, सम्मान डिप्लोमा, अनुज्ञप्ति, अभिधान और सम्मान चिन्ह प्रदान करने या प्रदान करने के सम्बन्ध में सिफारिश करना;
- (बारह) वृत्तिका, छात्रवृत्ति, पदक और पुरस्कार प्रदान करना और विनियमावली और ऐसी अन्य शर्ती, जैसी कि पुरस्कारों से सम्बद्ध की जा सकें, के अनुसार अन्य पुरस्कार प्रदान करना;
- (तेरह) विहित या सिफारिश की गयी पाठ्य पुस्तकों की सूची प्रकाशित करना और विहित पाठ्यक्रमों के पाठ्य विवरण प्रकाशित करना;
- (चौदह) ऐसे प्रपत्रों और रजिस्टरों को तैयार करना जो विनियमावली द्वारा समय-समय पर विहित किये जाते हैं; और
- (पन्द्रह) शैक्षणिक विषयों के सम्बन्ध में ऐसे समस्त कर्तव्यों का पालन करना और ऐसे समस्त कार्य करना जो इस अधिनियम और विनियमावली के उपबन्धों के समुचित कार्यान्वयन के लिये आवश्यक हों।
- **23. विद्या परिषद के अधिवेशन.**—(1) विद्या परिषद किसी शैक्षणिक वर्ष के दौरान उतनी बार जितनी बार आवश्यक हो, किन्तु अन्यून दो बार अधिवेशन करेगी।
- (2) विद्या परिषदं का ⁴⁷[अध्यक्ष (चेयर परसन)] विद्या परिषद के अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा, और उसकी अनुपस्थित में, उपस्थित सदस्य अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिये अपने में से किसी व्यक्ति का निर्वाचन करेंगे।
- (3) विद्या परिषद के सदस्यों की कुल संख्या के आधे से विद्या परिषद के किसी अधिवेशन की गणपूर्ति होगी।
- (4) विद्या परिषद के प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा और यदि विद्या परिषद द्वारा अवधारित किये जाने वाले किसी प्रश्न पर बराबर मत होंगे तो यथास्थिति विद्या परिषद के ⁴⁷[अध्यक्ष (चेयर परसन)] या अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले सदस्य का एक अतिरिक्त निर्णायक मत होगा।

^{46.} उ. प्र. अधिनियम सं. 35 सन् 2006 की धारा 2 द्वारा "संस्थान" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

^{47.} उ. प्र. अधिनियम सं. 5 सन् 2009 की धारा 2 द्वारा "अध्यक्ष" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2005

- **24.** वित्त सिमिति.—(1) विश्वविद्यालय की एक वित्त सिमिति होगी, जिसमें निम्निलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्—
 - (एक) ⁴⁸[कुलपति];
 - (दो) महापरिषद द्वारा अपने सदस्यों में से नामनिर्दिष्ट एक सदस्य;
 - (तीन) कार्य परिषद द्वारा अपने सदस्यों में से नामनिर्दिष्ट एक सदस्य;
 - (चार) उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग का प्रभारी सचिव या उसका नामनिर्देशिती जो विशेष सचिव की श्रेणी से निम्न पंक्ति का न हो;
 - (पाँच) उत्तर प्रदेश के न्याय विभाग का प्रभारी सचिव या उसका नामनिर्देशिती जो विशेष सचिव की श्रेणी से निम्न पंक्ति का न हो;
 - (छ:) उत्तर प्रदेश के वित्त विभाग का प्रभारी सचिव या उसका नामनिर्देशिती जो विशेष सचिव की श्रेणी से निम्न पंक्ति का न हो;
 - (सात) कुल सचिव;
 - (आठ) वित्त अधिकारी-सदस्य सचिव।
 - (2) वित्त समिति के नामनिर्दिष्ट सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेंगे।
 - (3) वित्त समिति की निम्नलिखित शक्तियाँ, कर्तव्य और कृत्य होंगे, अर्थात्—
 - (एक) ⁴⁹ [विश्वविद्यालय] के वार्षिक बजट का परीक्षण और उसकी संवीक्षा करना और कार्य परिषद को वित्तीय मामलों की सिफारिशें करना;
 - (दो) नये व्यय के समस्त प्रस्तावों पर विचार करना और कार्य परिषद को सिफारिशें करना;
 - (तीन) कार्य परिषद को सिफारिशें करने के लिये सावधिक लेखा विवरणों पर विचार करना और समय-समय पर ⁴⁹[विश्वविद्यालय] के वित्त का पुनर्विलोकन करना और पुनर्विनियोग विवरणों और संपरीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना;
 - (चार) स्वप्नेरणा पर या कार्य परिषद या ⁴⁸[कुलपित] के निर्देश पर ⁴⁹[विश्वविद्यालय] को प्रभावित करने वाले किसी वित्तीय मामले में कार्य परिषद को अपना विचार देना और सिफारिश करना।
- (4) वित्त समिति छ: माह में कम से कम एक बार अधिवेशन करेगी। वित्त समिति के तीन सदस्यों से गणपूर्ति होगी;
- (5) ⁴⁸[कुलपित] वित्त समिति के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा, और उसकी अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्य अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिये अपने में से किसी व्यक्ति को निर्वाचित करेंगे।
- **25.** चयन सिमिति.—(1) कार्य परिषद ⁴⁹[विश्वविद्यालय] में, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के पदों पर नियुक्ति के लिये कार्य परिषद को सिफारिशें करने के लिये चयन सिमिति का गठन करेगी।
 - (2) चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्—
 - (एक) 48 [कुलपित], जो सिमिति का 50 [अध्यक्ष (चेयर परसन)] होगा;
 - (दो) सम्बन्धित विभागाध्यक्ष, यदि कोई हो, जो ऐसे पद, जिसके लिये चयन किया जाना हो, के स्तर से निम्न स्तर के पद का न हो;
 - (तीन)(क) जहाँ किसी अध्यापन पद के लिये नियुक्ति की जानी हो वहाँ विद्या परिषद द्वारा सिफारिश किये गये और कार्य परिषद द्वारा अनुमोदित नामों के पैनल में से ⁴⁸[कुलपित] द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन विशेषज्ञ;

^{48.} उ. प्र. अधिनियम सं. 5 सन् 2009 की धारा 2 द्वारा "निदेशक" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

^{49.} उ. प्र. अधिनियम सं. 35 सन् 2006 की धारा 2 द्वारा "संस्थान" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

^{50.} उ. प्र. अधिनियम सं. 5 सन् 2009 की धारा 2 द्वारा "अध्यक्ष" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

- (ख) जहाँ कोई नियुक्ति अध्यापन से सम्बन्धित पद से भिन्न किसी पद पर की जानी हो वहाँ कार्य परिषद द्वारा सिफारिश किये गये नामों के पैनल में से ⁵¹[कुलपित] द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले ⁵²[विश्वविद्यालय प्रशासन के क्षेत्र के] तीन विशेषज्ञ।
- (3) जहाँ ⁵³[विश्वविद्यालय] द्वारा पद स्थापित किये जाने के लिये किसी दाता से विन्यास प्राप्त किया जाय वहाँ उस पद को भरे जाने के प्रयोजन से दाता को चयन समिति के सदस्य के रूप में सहयोजित किया जा सकता है।
 - **26.** ⁵³[विश्वविद्यालय] के अधिकारी.— ⁵³[विश्वविद्यालय] के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात्—
 - (एक) ⁵¹[कुलपति];
 - (दो) विभागाध्यक्षगण;
 - (तीन) कुलसचिव;
 - (चार) वित्त अधिकारी;
 - (पाँच) ऐसे अन्य अधिकारी, जो विहित किये जायं।
- **27.** ⁵¹[कुलपित].—(1) ⁵¹[कुलपित] ⁵³[विश्वविद्यालय] का पूर्णकालिक वेतन भोगी अधिकारी होगा। इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् ⁵¹[कुलपित] की नियुक्ति महापरिषद द्वारा ⁵⁴[विख्यात शिक्षाविद या शिक्षा शास्त्री या विधि के क्षेत्र के विख्यात आचार्यों में से] की जाएगी जिनके नाम, उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार गठित समिति द्वारा महापरिषद को भेंजे जायें:

परन्तु प्रथम [कुलपित] की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी।

- 55 [(1-क) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी महापरिषद के अध्यक्ष यदि सन्तुष्ट हों, तो पद पर कार्यरत कुलपित को चार वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने के पश्चात् पाँच वर्ष की दूसरी अविध के लिए सेवा विस्तार प्रदान कर सकेगा तथा प्रकरण महापरिषद के आगामी अधिवेशन में सूचित किया जायेगा।]
 - (2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्—
 - (एक) कूलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक व्यक्ति;
 - (दो) ⁵⁶[अध्यक्ष (चेयर परसन) महापरिषद द्वारा नामनिर्दिष्ट] किया जाने वाला एक व्यक्ति;
 - (तीन) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक व्यक्ति।
- (3) उपधारा (4) के अधीन पदाविध समाप्ति अथवा पदत्याग के कारण ⁵¹[कुलपित] के पद में होने वाली रिक्ति के दिनांक से यथाशक्य कम से कम छ: माह पूर्व और जब कभी भी महापरिषद द्वारा अपेक्षा की जाय और ऐसे दिनांक के पूर्व जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय, सिमिति महापरिषद को कम से कम तीन व्यक्तियों के नाम प्रस्तुत करेगी जो ⁵¹[कुलपित] का पद धारण करने के उपयुक्त हों। सिमिति महापरिषद को नाम प्रस्तुत करते समय सिफारिश किये गये व्यक्तियों में से प्रत्येक की शैक्षिक अर्हताओं तथा अन्य विशिष्टताओं का एक संक्षिप्त विवरण भी भेजगी किन्तु वह उसमें कोई अधिमानी क्रम उपदर्शित नहीं करेगी।

^{51.} उ. प्र. अधिनियम सं. 5 सन् 2009 की धारा 2 द्वारा "निदेशक" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

^{52.} उ. प्र. अधिनियम सं. 35 सन् 2006 की धारा 8 द्वारा "संस्थान प्रशासन के क्षेत्र के" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

^{53.} उ. प्र. अधिनियम सं. 35 सन् 2006 की धारा 2 द्वारा "संस्थान" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

^{54.} उ. प्र. अधिनियम सं. 35 सन् 2006 की धारा 9(क) द्वारा "ऐसे व्यक्तियों में से" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

^{55.} उ. प्र. अधिनियम सं. 5 सन् 2009 की धारा $8(\bar{p})$ द्वारा अंतःस्थापित।

^{56.} उ. प्र. अधिनियम सं. 5 सन् 2009 की धारा 8(ख) द्वारा "महापरिषद द्वारा नामनिर्दिष्ट" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2005

(4) ⁵⁷ [कुलपित] अपने पद ग्रहण के दिनांक से पाँच वर्ष की अविध तक ⁵⁸ [* * *] पद धारण करेगा/करेगी:

परन्तु महापरिषद के ⁵⁹ [अध्यक्ष (चेयर परसन)] को सम्बोधित और स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा ⁵⁷[कुलपित] अपना पद त्याग कर सकेगा और महापरिषद द्वारा ऐसा त्याग-पत्र स्वीकार कर लिये जाने पर वह अपना पद धारण करने से विरत हो जाएगा।

- (5) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये ⁵⁷[कुलपित] की परिलब्धियाँ और अन्य सेवा शर्तें ऐसी होंगी जैसा कि विहित किया जाए।
 - (6) ⁵⁷[कुलपित] किसी पेंशन, बीमा या भविष्य निधि की प्रसुविधा का हकदार नहीं होगा।
- (7) यदि ⁵⁷[कुलपित] का पद छुट्टी लेने के कारण या त्याग-पत्र या पदाविध की समाप्ति से भिन्न किसी अन्य कारण से रिक्त हो जाय या उसका रिक्त होना सम्भाव्य हो, जिसकी सूचना कुलसिचव द्वारा महापरिषद के ⁵⁹[अध्यक्ष (चेयर परसन)] को तुरन्त दी जायेगी, तो महापरिषद का ⁵⁹[अध्यक्ष (चेयर परसन)] किसी उपयुक्त व्यक्ति को ⁵⁷[कुलपित] के पद पर छ: माह की अनिधक अविध के लिये नियुक्त कर सकता है।
- (8) यदि महापरिषद की राय में ⁵⁷[कुलपित] जानबूझकर इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित नहीं करता है या कार्यान्वित करने से इन्कार करता है या अपने में निहित शिक्तयों का दुरुपयोग करता है या यदि महापरिषद को अन्यथा यह प्रतीत हो कि ⁵⁷[कुलपित] का पद पर बने रहना ⁶⁰ [विश्वविद्यालय] के लिये अहितकर है तो महापरिषद ऐसी जाँच करने के पश्चात जिसे छः माह के भीतर अधिमानतः पूरा कर लिया जायेगा, उसको सुनवाई का अवसर देने के पश्चात आदेश द्वारा ⁵⁷[कुलपित] को हटा सकती है।
- (9) उपधारा (8) में निर्दिष्ट किसी जाँच के विचाराधीन रहने के दौरान या ऐसी जाँच को अनुध्यात करते हुए महापरिषद यह आदेश दे सकती है कि अग्रतर आदेशों तक—
 - (क) ऐसा ⁵⁷[कुलपित], ⁵⁷[कुलपित] के पद के कार्य संचालन से विरत रहेगा किन्तु उसे वह परिलब्धियाँ प्राप्त होती रहेंगी जिनके लिये वह अन्यथा उपधारा (5) के अधीन हकदार था।
 - (ख) ⁵⁷[कुलपति] के पद के कार्य का संचालन आदेश में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किया जाएगा।
 - (10) ⁵⁷[कुलपति]—
 - (क) यह सुनिश्चित करेगा कि इस अधिनियम के उपबन्धों और विनियमों का समुचित पालन कर लिया जाता है और उसमें उस प्रयोजन के लिये आवश्यक समस्त शक्तियाँ होंगी;
 - (ख) कार्य परिषद के विनिर्दिष्ट और सामान्य निदेशों के अध्यधीन ⁵⁷[कुलपित] ⁶⁰[विश्वविद्यालय] के प्रबन्धन और प्रशासन में कार्य परिषद की समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा;
 - (ग) महापरिषद, कार्य परिषद, विद्या परिषद के अधिवेशनों को बुलायेगा और समस्त अन्य कृत्यों का निष्पादन करेगा जो इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने के निमित्त आवश्यक हों;
 - (घ) को ⁶⁰[विश्वविद्यालय] में समुचित रूप से अनुशासन बनाये रखने से संबंधित समस्त शक्तियाँ होंगी।

^{57.} उ. प्र. अधिनियम सं. 5 सन् 2009 की धारा 2 द्वारा "निदेशक" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

^{58.} उ. प्र. अधिनियम सं. 35 सन् 2006 की धारा 9(ख) द्वारा "या जब तक वह पैंसठ वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेता/लेती है, जो भी पहले हो," शब्दों का लोप किया गया।

^{59.} उ. प्र. अधिनियम सं. 5 सन् 2009 की धारा 2 द्वारा "अध्यक्ष" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

^{60.} उ. प्र. अधिनियम सं. 35 सन् 2006 की धारा 2 द्वारा 'संस्थान" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

- (11) यदि ⁶¹ [कुलपित] की राय में कोई आपात स्थिति आ गयी हो, जिसके लिये तत्काल कार्यवाही की अपेक्षा हो तो वह ऐसी कार्यवाही करेगा जैसा वह आवश्यक समझे और उक्त के सम्बन्ध में सम्बन्धित प्राधिकरण को जिसने सामान्य स्थिति में मामले में कार्यवाही की होती, अगले अधिवेशन में पुष्टि के लिये सूचित करेगा।
 - **28. विभागाध्यक्षगण**.— $(1)^{62}$ [विश्वविद्यालय] में प्रत्येक विभाग के लिये एक विभागाध्यक्ष होगा।
- (2) विभागाध्यक्षों की शक्तियाँ, कृत्य, नियुक्तियाँ और सेवा शर्तें वही होंगी जैसा कि विनियमों द्वारा विहित किया जाय।
- **29.** कुलसचिव.—(1) कुलसचिव 62 [विश्वविद्यालय] का पूर्णकालिक अधिकारी होगा। उसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा राज्य के ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों में से की जाएगी।
- (2) कुलसचिव, कार्य परिषद, विद्या परिषद और संकायों का पदेन सचिव होगा, किन्तु उसे इन प्राधिकरणों में से किसी का सदस्य नहीं समझा जाएगा।
 - (3) कुलसचिव:
 - (एक) कार्य परिषद और ⁶¹[कुलपित] के निदेशों और आदेशों का अनुपालन करेगा;
 - (दो) ⁶²[विश्वविद्यालय] के अभिलेखों, सामान्य मुद्रा और ऐसी अन्य सम्पत्ति का अभिरक्षक होगा जिन्हें कार्य परिषद उसके भारसाधन में सुपूर्व करे;
 - (तीन) कार्य परिषद, विद्या परिषद, वित्त समिति, संकायों, पाठ्य समिति और ⁶²[विश्वविद्यालय] के प्राधिकरणों द्वारा नियुक्त किसी समिति का अधिवेशन बुलाने वाली समस्त नोटिसें जारी करेगा;
 - (चार) कार्य परिषद, विद्या परिषद, वित्त समिति, संकायों और ⁶²[विश्वविद्यालय] के प्राधिकरणों द्वारा नियुक्त किसी समिति के समस्त अधिवेशनों का कार्यवृत्त रखेगा;
 - (पाँच) कार्य परिषद और विद्या परिषद का शासकीय पत्र व्यवहार करेगा;
 - (छ:) ⁶²[विश्वविद्यालय] के अधिवेशनों की कार्यसूची, जैसे ही वे जारी की जाती हैं और प्राधिकरणों के अधिवेशनों के कार्यवृत्त की प्रतियाँ अधिवेशन के आयोजन के एक माह के भीतर कुलाध्यक्ष को भेजेगा;
 - (सात) किसी आपात स्थिति में, जब न तो ⁶¹[कुलपित] न सम्यक् रूप से प्राधिकृत अधिकारी कार्य करने में सक्षम हो, कार्य परिषद का तत्काल अधिवेशन बुलायेगा और ⁶²[विश्वविद्यालय] का कार्य करने के लिये उसके निदेश लेगा:
 - (आठ) ⁶²[विश्वविद्यालय] द्वारा या उसके विरुद्ध वादों या कार्यवाहियों में ⁶²[विश्वविद्यालय] का प्रतिनिधित्व करेगा, मुख्तारनामा पर हस्ताक्षर करेगा और अभिवचनों का सत्यापन करेगा या उक्त प्रयोजन के लिये प्रतिनिधियों को प्रतिनियुक्ति करेगा;
 - (नौ) अपने कर्तव्यों और कृत्यों के समुचित निर्वहन के लिये ⁶¹[कुलपित] के प्रति सीधे उत्तरदायी होगा:
 - (दस) ऐसे अन्य कर्तव्यों का सम्पादन करेगा जैसा कि कार्य परिषद या ⁶¹[कुलपित] द्वारा इस अधिनियम या विनियमावली के उपबन्धों के अधीन समय-समय पर समनुदेशित किया जाय।
- (4) किसी कारण से कुलसचिव का पद रिक्त रहने की स्थिति में 61 [कुलपित] 62 [विश्वविद्यालय] की सेवा के किसी अधिकारी को कुलसचिव की ऐसी शक्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत कर सकता है जैसा 61 [कुलपित] उचित समझे।

^{61.} उ. प्र. अधिनियम सं. 5 सन् 2009 की धारा 2 द्वारा "निदेशक" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

^{62.} उ. प्र. अधिनियम सं. 35 सन् 2006 की धारा 2 द्वारा "संस्थान" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2005

- 30. वित्त अधिकारी.—(1) वित्त अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।
- (2) वित्त अधिकारी,—
 - (क) कार्य परिषद के समक्ष बजट (वार्षिक अनुमान) और लेखा-विवरण प्रस्तुत करेगा और ⁶³ [विश्वविद्यालय] की ओर से निधियों का आहरण एवं वितरण भी करेगा;
 - (ख) मतदान को छोड़कर, कार्य परिषद के वित्त के मामलों से सम्बन्धित कार्यवाहियों में बोलेगा और उनमें भाग लेगा;
 - (ग) यह सुनिश्चित करेगा कि बजट में अप्राधिकृत कोई व्यय ⁶³[विश्वविद्यालय] द्वारा (विनिधान के माध्यम को छोड़कर) उपगत नहीं किया जाता है;
 - (घ) किसी ऐसे प्रस्तावित व्यय को अस्वीकार करेगा जो इस अधिनियम या विनियमावली के उपबन्धों का उल्लंघन करता हो;
 - (ङ) यह सुनिश्चित करेगा कि कोई वित्तीय अनियमितता न की जाय और लेखा परीक्षा के दौरान इंगित किन्हीं अनियमितताओं को ठीक करने के लिये कार्यवाही करेगा;
 - (च) यह सुनिश्चित करेगा कि ⁶³[विश्वविद्यालय] की सम्पत्ति तथा विनिधानों का सम्यक रूप से परिरक्षण और प्रबन्ध किया जा रहा है;
 - (छ) ⁶³[विश्वविद्यालय] की निधियों का सामान्य पर्यवेक्षण करेगा;
 - (ज) वित्तीय मामलों में स्वप्नेरणा से या अपेक्षा किये जाने पर अपने परामर्श के आधार पर परामर्श देगा;
 - (झ) ⁶³[विश्वविद्यालय] के आय का संग्रह करेगा, संदायों का वितरण करेगा और लेखों का अनुरक्षण करेगा;
 - (ज) यह सुनिश्चित करेगा कि भवनों, भूमि, फर्नीचर के सामानों और उपस्करों की पंजिया अद्यतन अनुरक्षित रखी जाती हैं और यह कि उपस्कर और अन्य खपने वाली सामग्री की स्टॉक जाँच ⁶³[विश्वविद्यालय] में नियमित रूप से की जाती है;
 - (ट) किसी अनिधकृत व्यय और अन्य वित्तीय अनियमितताओं की जाँच करेगा और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सक्षम प्राधिकारी को अनुशासनिक कार्यवाही के लिए सुझाव देगा;
 - (ठ) वित्तीय मामलों के सम्बन्ध में ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जो उसे कार्य परिषद या ⁶⁴[कुलपित] द्वारा समनुदेशित किये जायँ।
- (3) किसी कारण से वित्त अधिकारी का पद रिक्त रहने की स्थिति में 64 [कुलपित] 63 [विश्वविद्यालय] की सेवा में किसी अधिकारी को वित्त अधिकारी की ऐसी शक्तियों, कृत्यों ओर कर्तव्यों, जैसा कि 64 [कुलपित] उचित समझे, का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है।
- **31.** अन्य अधिकारी.—(1) उक्त प्रयोजन के लिए बनाये गये विनियमों के अध्यधीन ⁶³[विश्वविद्यालय] के प्रत्येक अन्य अधिकारी या कर्मचारी की नियुक्ति, विनियमों द्वारा यथा विहित सेवा शर्तों को उपवर्णित करते हुए लिखित संविदा के अधीन की जाएगी जो ⁶³[विश्वविद्यालय] को सौंपी जाएगी और उसकी एक प्रति संबंधित या कर्मचारी को प्रस्तुत की जाएगी।
- (2) ⁶³[विश्वविद्यालय] और उसके किसी अधिकारी या कर्मचारी के मध्य संविदा के कारण उत्पन्न हुए किसी विवाद को सम्बन्धित अधिकारी या कर्मचारी के अनुरोध पर या ⁶³[विश्वविद्यालय] के प्रेरणा पर, विनियमों द्वारा यथा विहित, कार्य परिषद द्वारा नियुक्त तीन सदस्यों से गठित किसी माध्यस्थम न्यायाधिकरण को निर्दिष्ट किया जाएगा।
- **32.** विनियमावली कैसे बनायी जाये.—(1) कार्य परिषद इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए विनियमावली बना सकती है:

^{63.} उ. प्र. अधिनियम सं. 35 सन् 2006 की धारा 2 द्वारा "संस्थान" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

^{64.} उ. प्र. अधिनियम सं. 5 सन् 2009 की धारा 2 द्वारा "निदेशक" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

परन्तु कार्य परिषद ⁶⁵ [विश्वविद्यालय] के किसी प्राधिकारी की प्रास्थिति, शक्तियों या उसके गठन को प्रभावित करने वाले किसी विनियम को तब तक नहीं बनायेगी जब तक ऐसे प्राधिकरण को प्रस्तावित परिवर्तनों पर लिखित रूप में राय अभिव्यक्त करने का कोई अवसर न दे दिया जाए और इस प्रकार अभिव्यक्त किसी राय पर कार्य परिषद द्वारा विचार किया जाएगा:

परन्तु यह और कि विद्या परिषद की पूर्व सहमति के बिना कार्य परिषद निम्नलिखित में से किसी एक या सभी विषयों को प्रभावित करने वाले किसी विनियम का निर्माण, संशोधन या निरसन नहीं करेगी, अर्थात्—

- (एक) विद्या परिषद का गठन, शक्तियाँ और कर्तव्य;
- (दो) ⁶⁵[विश्वविद्यालय] संबंधी पाठ्यक्रमों और सम्बन्धित शैक्षणिक कार्यक्रमों के संबंध में अध्यापन संचालित करने के लिए उत्तरदायी प्राधिकारी;
- (तीन) उपाधियों, डिप्लोमाओं, प्रमाण-पत्रों और अन्य विद्या संबंधी विशिष्टताओं का वापस लिया जाना;
- (चार) संकायों, विभागों, हालों और संस्थाओं की स्थापना और समाप्ति;
- (पाँच) अध्यवेतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, छात्र सहायतावृत्तियों, पदकों और पारितोषिकों को संस्थित करना;
- (छ:) परीक्षकों की नियुक्ति की शर्तें और रीति या परीक्षाओं या अध्ययन के किसी अन्य पाठ्यक्रम का संचालन या उसका स्तर;
- (सात) छात्रों के नामाकंन या प्रवेश की रीति:
- (आठ) 65 [विश्वविद्यालय] की परीक्षाओं के समतुल्य मान्यता प्रदान की जाने वाली परीक्षाएँ।
- (2) विद्या परिषद को उपधारा (1) के खण्ड (एक) से (आठ) में विनिर्दिष्ट समस्त विषयों और उससे सम्बन्धित या उससे आनुषंगिक विषयों पर विनियम, प्रस्तावित करने की शक्ति होगी।
- (3) जहाँ कार्य परिषद ने विद्या परिषद द्वारा प्रस्तावित किसी विनियम के प्रारूप को अस्वीकार कर दिया हो, वहाँ विद्या परिषद कुलाध्यक्ष को अपील कर सकती है ⁶⁶ [और कुलाध्यक्ष आदेश द्वारा निर्देश देगा] कि प्रस्तावित विनियम को महापरिषद के अगले अधिवेशन के समक्ष उसके अनुमोदन के लिए रखा जाय और यह कि महापरिषद के ऐसे अनुमोदन के लिम्बत रहने तक यह ऐसे दिनांक से प्रभावी होगा ⁶⁷ [जैसा कि उस आदेश में कुलाध्यक्ष द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय]:

परन्तु यदि विनियम कर अनुमोदन महापरिषद द्वारा ऐसे अधिवेशन में नहीं किया जाता है तो यह प्रभावी नहीं रह जाएगा।

- (4) कार्य परिषद द्वारा बनाये गये समस्त विनियम महापरिषद के समक्ष उसके अगले अधिवेशन में रखे जायेंगे और महापरिषद को कार्यपरिषद् द्वारा बनाये गये किसी विनियम को संशोधित करने या रद्द करने की शक्ति होगी।
- **33.** पुनर्विलोकन आयोग की नियुक्ति.—(1) कुलाध्यक्ष ⁶⁵[विश्वविद्यालय] की कार्यप्रणाली का पुनर्विलोकन करने के लिए और सिफरिशें करने के लिए प्रत्येक पाँच वर्ष में कम से कम एक बार आयोग का गठन करेगा।
- (2) आयोग में विधिक क्षेत्र में प्रख्यात तीन से अन्यून शिक्षाविद् होंगे जिसमें से एक राज्य सरकार के परामर्श से कुलाध्यक्ष द्वारा नियुक्त, ऐसे आयोग का ⁶⁸[अध्यक्ष (चेयर परसन)] होगा।

^{65.} उ. प्र. अधिनियम सं. 35 सन् 2006 की धारा 2 द्वारा "संस्थान" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

^{66.} उ. प्र. अधिनियम सं. 5 सन् 2009 की धारा 9(क) द्वारा "और कुलाध्यक्ष आदेश द्वारा निदेश दे सकता है" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

^{67.} उ. प्र. अधिनियम सं. 5 सन् 2009 की धारा 9(ख) द्वारा 'जैसा कि उस आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।

^{68.} उ. प्र. अधिनियम सं. 5 सन् 2009 की धारा 2 द्वारा "अध्यक्ष" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2005

- (3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट सदस्यों की नियुक्ति की निबन्धन और शर्तें वही होंगी जैसी कुलाध्यक्ष द्वारा अवधारित की जाय।
 - (4) आयोग ऐसी जाँच, जैसा वह उचित समझे, करने के पश्चात् कुलाध्यक्ष को अपनी सिफारिश करेगा।
 - (5) कुलाध्यक्ष आयोग की सिफारिशों पर ऐसी कार्यवाही कर सकता है जैसा वह उचित समझे।
- **34.** 69 [विश्वविद्यालय] की निधि.—(1) 69 [विश्वविद्यालय] की एक निधि होगी जिसमें निम्नलिखित सम्मिलत होंगे—
 - (एक) राज्य सरकार द्वारा दिया गया कोई अंशदान या अनुदान;
 - (दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या केन्द्र सरकार द्वारा दिया गया अंशदान या अनुदान;
 - (तीन) राज्य बार कौंसिल द्वारा दिया गया कोई अंशदान;
 - (चार) निजी व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा दी गयी कोई वसीयत, दान, विन्यास या अन्य अनुदान;
 - (पाँच) ⁶⁹[विश्वविद्यालय] द्वारा फ़ीस और प्रभारों से प्राप्त आय; और
 - (छ:) किसी अन्य स्त्रोत से प्राप्त धनराशि, किन्तु उसमें किसी अभिकरण से प्राप्त कोई निधियाँ सम्मिलित नहीं होंगी।
- (2) ⁶⁹[विश्वविद्यालय] की निधि की धनराशि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1934) में यथापरिभाषित किसी अनुसूचित बैंक में या बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 5 सन् 1970) या बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1980 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 40 सन् 1980) के अधीन गठित किसी तत्समान नये बैंक में रखी जाएगी या उसे भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2. सन् 1882) द्वारा प्राधिकृत ऐसी प्रतिभूतियों में विनिधानित किया जा सकता है, जैसा कार्य परिषद् द्वारा विनिश्चय किया जाय।
- (3) ⁶⁹[विश्वविद्यालय] की निधि का उपयोग ⁶⁹[विश्वविद्यालय] के ऐसे प्रयोजन के लिए ऐसी रीति से किया जा सकता है, जैसा विहित किया जाए।
- **35.** वार्षिक लेखा और संपरीक्षा.—(1) ⁶⁹[विश्वविद्यालय] का वार्षिक लेखा और तुलन पत्र कार्य परिषद् के निदेशों के अधीन तैयार किया जायेगा;
- (2) ⁶⁹[विश्वविद्यालय] की लेखा सम्परीक्षा, वर्ष में न्यूनतम एक बार, ⁷⁰[निदेशक], स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश या ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जैसा कि राज्य सरकार इस निमित्त प्राधिकृत करे, की जाएगी;
- (3) लेखों का, जब सम्परीक्षा हो जाय, प्रकाशन, कार्य परिषद् द्वारा किया जायेगा, और सम्परीक्षा रिपोर्ट सिहत लेखों की एक प्रति महापरिषद् के समक्ष रखी जायेगी और उसे राज्य सरकार को भी प्रस्तुत किया जायेगा;
- (4) महापरिषद् द्वारा उसके वार्षिक अधिवेशन में वार्षिक लेखों पर विचार किया जायेगा। महापरिषद् उससे सम्बन्धित संकल्प पारित कर सकती है और उसे कार्य परिषद् को संसूचित कर सकती है। कार्य परिषद्, महापरिषद् द्वारा दिये गये सुझावों पर विचार करेगी और उस पर ऐसी कार्यवाही कर सकती है जैसी वह उचित समझे। कार्य परिषद महापरिषद् को उसके अगले अधिवेशन में अपने द्वारा कृत समस्त कार्यवाहियों या कार्यवाही न करने के कारणों की सूचना देगी।

^{69.} उ. प्र. अधिनियम सं. 35 सन् 2006 की धारा 2 द्वारा "संस्थान" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

^{70.} उ. प्र. अधिनियम सं. 5 सन् 2009 की धारा 2 द्वारा "निदेशक" के स्थान पर प्रतिस्थापित। Ed.: पत्रांक संख्या 177918/NLU Lko/Admin/P-18/2012, दिनांक 12-10-2018 द्वारा पूर्व की स्थिति में "निदेशक" के रूप में बहाल किया गया। प्रकाशक, ईस्टर्न बुक कम्पनी ईबीसी पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड इस परिवर्तन की कोई जिम्मेदारी नहीं लेती है।

- **36.** वित्तीय प्राक्कलन.—(1) कार्य परिषद्, ऐसे दिनांक से पूर्व, जैसा कि विनियमावली द्वारा विहित किया जाय, आगामी वर्ष के लिए वित्तीय प्राक्कलन तैयार करेगी और उसे महापरिषद् के समक्ष रखेगी।
- (2) कार्य परिषद्, ऐसे मामले में जहाँ बजट में उपबन्धित धनराशि के आधिक्य में व्यय उपगत किया जाना हो तो यह लिखित रूप में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से आत्ययिकता के मामलों में, विनियमावली में विनिर्दिष्ट ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अधीन रहते हुये व्यय उपगत कर सकती है जहाँ ऐसे आधिक्य व्यय के संबंध में बजट कोई उपबन्ध नहीं किया गया हो वहाँ महापरिषद के उसके अगले अधिवेशन में एक रिपोर्ट की जायेगी।
- **37.** अधिभार.—(1) धारा-26 में विनिर्दिष्ट कोई अधिकारी ⁷¹[विश्वविद्यालय] के किसी धन या सम्पत्ति की हानि दुर्व्यय या दुरुपयोग के लिए अधिभार का देनदार होगा, यदि ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन उसकी उपेक्षा या अवचार के प्रत्यक्ष परिणाम स्वरूप हो;
- (2) अधिभार की प्रक्रिया और ऐसी हानि दुर्व्यय या दुरुपयोजन में अन्तर्निहित धनराशि की वसूली की रीति ऐसी होगी जैसी विहित की जाय।
- **38. संविदाओं का निष्पादन.**—⁷¹[विश्वविद्यालय] के प्रबंधन और प्रशासन से सम्बन्धित समस्त संविदाएं ऐसे अभिव्यक्त की जाएगी जैसा कि कार्य परिषद् द्वारा करायी गयी हो और जब संविदा का मूल्य दस लाख रुपये से अधिक हो, उनका निष्पादन ⁷²[कुलपित] द्वारा किया जाएगा, और जब इसका मूल्य दस लाख रुपये से अधिक न हो, कुल सचिव द्वारा किया जायेगा।
- **39.** ⁷¹[विश्वविद्यालय] द्वारा विधि उपाधि, डिप्लोमा आदि का प्रदान किया जाना.—⁷¹[विश्वविद्यालय] को इस अधिनियम के अधीन विधि उपाधि, डिप्लोमा और अन्य शैक्षणिक विशिष्टताएं और अभिधान प्रदान करने की शक्ति होगी।
- 40. मानद उपाधि.—यदि विद्या परिषद् के दो-तिहाई से अन्यून सिफ़ारिश करते हैं कि किसी व्यक्ति को, इस आधार पर कि वह विख्यात उपलब्धि और पद के कारण से ऐसी उपाधि या शैक्षणिक विशिष्टता प्राप्त करने के लिये उनकी राय में उपयुक्त एवं उचित है, कोई मानद उपाधि या शैक्षणिक विशिष्टता प्रदान की जाय, एवं महापरिषद किसी संकल्प द्वारा यह विनिश्चय कर सकती है कि उसे सिफ़ारिश किये गये व्यक्ति को प्रदान किया जा सकता है।
- 41. उपाधि या डिप्लोमा का वापस लिया जाना.—(1) महापरिषद् कार्यपरिषद की सिफ़ारिश पर महापरिषद् के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा और अधिवेशन में उपस्थित और मत देने वाले महापरिषद् के दो-तिहाई से अन्यून सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित संकल्प द्वारा किसी व्यक्ति को प्रदत्त की गयी या प्रदान की गयी किसी विशिष्टता, उपाधि, डिप्लोमा या विशेषाधिकार को वापस ले सकती है, यदि ऐसा व्यक्ति किसी ऐसे अपराध के लिए किसी न्यायालय द्वारा सिद्ध दोष ठहराया गया हो, जिसमें महापरिषद् की राय में नैतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त हो, यदि वह घोर अवचार का दोषी रहा हो।
- (2) इस धारा के अधीन कोई कार्यवाही किसी व्यक्ति के विरुद्ध तक तक नहीं की जाएगी जब तक उसे दी जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध कारण बताने का अवसर न दे दिया जाए।
 - (3) महापरिषद् द्वारा पारित संकल्प की प्रति सम्बन्धित व्यक्ति को तत्काल प्रेषित की जाएगी।
- (4) महापरिषद् द्वारा किये विनिश्चय द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे संकल्प की प्राप्ति दिनांक से तीस दिन के भीतर कुलाध्यक्ष को अपील कर सकता है।
 - (5) ऐसी अपील में कुलाध्यक्ष का विनिश्चय अन्तिम होगा।

^{71.} उ. प्र. अधिनियम सं. 35 सन् 2006 की धारा 2 द्वारा "संस्थान" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

^{72.} उ. प्र. अधिनियम सं. 5 सन् 2009 की धारा 2 द्वारा "निदेशक" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

- **42. सम्पत्ति का अन्तरण**.—राज्य सरकार ⁷³ [विश्वविद्यालय] को ऐसी शर्तों पर ऐसी सीमाओं के अध्यधीन रहते हुए जैसा कि राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये उचित समझे; ⁷³ [विश्वविद्यालय] द्वारा उपयोग और प्रबन्धन के लिये भवनों, भूमि और जंगम या स्थावर किसी अन्य सम्पत्ति को अन्तरित कर सकती है।
- **43.** अनुशासन.— (1) ⁷³[विश्वविद्यालय] के छात्रों के मध्य अनुशासन बनाये रखने के लिये उत्तरदायी अन्तिम प्राधिकारी ⁷⁴[कुलपित] होगा। इस निमित्त उसके निदेशों का पालन विभागाध्यक्षों, छात्रावासों और ⁷³[विश्वविद्यालय] की संस्थाओं के प्रधानों द्वारा किया जायेगा।
- (2) उपखण्ड (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी किसी ⁷⁵[छात्र को विश्वविद्यालय या किसी छात्रावास या किसी संस्था से निष्कासित करने के दण्ड] पर विचार और अधिरोपण, ⁷⁴[कुलपित] की रिपोर्ट पर कार्य परिषद् द्वारा किया जायेगा:

परन्तु ऐसा कोई दण्ड सम्बन्धित छात्र को उसके विरुद्ध किये जाने के लिये प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना अधिरोपित नहीं किया जायेगा।

- ⁷⁶[(3) यदि कोई छात्र कार्य परिषद के आदेश से व्यथित हो, तो छात्र कार्य परिषद द्वारा निर्गत ऐसे दण्ड के आदेश की प्राप्ति के तीस दिन की अविध के भीतर अध्यक्ष, महापरिषद को अपील कर सकता है।]
- **44.** प्रायोजित योजनायें.—इस अधिनियम और विनियमावली में किसी बात के होते हुये भी जब कभी ⁷³[विश्वविद्यालय] किसी सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या ⁷³[विश्वविद्यालय] द्वारा निष्पादित की जाने वाली किसी योजना को प्रायोजित करने वाले अन्य अभिकरणों से निधियाँ प्राप्त करें तो—
 - (क) ऐसी प्राप्त धनराशि, निधि से पृथक रूप से ⁷³[विश्वविद्यालय] द्वारा रखी जायेगी और उक्त योजना के प्रयोजनों के लिये ही उपयोग की जायेगी: और
 - (ख) योजना निष्पादित करने के लिये अपेक्षित कर्मचारिवर्ग की भर्ती प्रायोजित करने वाले संगठन द्वारा नियत निबन्धन और शर्तों के अनुसार की जायेगी।
- **45.** रिक्तियों द्वारा अविधिमान्य न की गयी प्राधिकरणों या निकायों की कार्यवाही.—(1) इस बात के होते हुए भी कि महापरिषद, कार्यपरिषद, विद्या परिषद या ⁷³[विश्वविद्यालय] का कोई अन्य प्राधिकरण या निकाय सम्यक् रूप से गठित नहीं है या किसी समय उसके गठन या पुनर्गठन में कोई त्रुटि रही है और इस बात के होते हुये भी कि ⁷³[विश्वविद्यालय] के किसी प्राधिकरण, समिति या निकाय का ऐसा कोई कार्य या कार्यवाही नहीं है जो केवल इन कारणों से अविधिमान्य होगी कि,—
 - (क) उसमें कोई रिक्ति या उसके गठन में कोई त्रुटि थी; या
 - (ख) उसके सदस्य के रूप में काम वाले किसी व्यक्ति के निर्वाचन, नाम-निर्देशन या नियुक्ति में कोई त्रुटि थी; या
 - (ग) उसकी कार्यवाही में कोई ऐसी अनियमितता थी जिससे मामले के गुणावगुण पर कोई प्रभाव न पड़ता हो।

^{73.} उ. प्र. अधिनियम सं. 35 सन् 2006 की धारा 2 द्वारा "संस्थान" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

^{74.} उ. प्र. अधिनियम सं. 5 सन् 2009 की धारा 2 द्वारा "निदेशक" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

^{75.} उ. प्र. अधिनियम सं. 5 सन् 2009 की धारा 10(क) द्वारा "छात्र को परीक्षा से विवर्जित करने या विश्वविद्यालय या किसी छात्रावास या किसी संस्था से निष्कासित करने के दण्ड" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

^{76.} उ. प्र. अधिनियम सं. 5 सन् 2009 की धारा 10(ख) द्वारा अंतःस्थापित।

- (2) ⁷⁷ [विश्वविद्यालय] के किसी प्राधिकरण या निकाय के किसी संकल्प को किसी व्यक्ति पर नोटिस तामील करने में किसी अनियमितता के कारण अविधिमान्य नहीं समझा जायेगा, परन्तु यह कि ऐसे प्राधिकरण या निकाय की कार्यवाहियों पर यदि ऐसी अनियमितता द्वारा प्रतिकृल प्रभाव न पड़ा हो।
- 46. कठिनाइयों का दूर किया जाना.—यदि ⁷⁷[विश्वविद्यालय] की स्थापना के सम्बन्ध में या ⁷⁷[विश्वविद्यालय] के किसी प्राधिकरण के प्रथम अधिवेशन के संबंध में या अन्यथा इस अधिनियम और विनियमावली के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार ⁷⁷[विश्वविद्यालय] के प्राधिकरणों का गठन किये जाने के पूर्व किसी समय, आदेश द्वारा कोई नियुक्ति कर सकता है, या जहाँ तक हो सके, इस अधिनियम और विनियमावली के उपबंधों से संगत कोई बात कर सकता है जो कठिनाई दूर करने के प्रयोजन के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो और ऐसा प्रत्येक आदेश प्रभावी होगा मानों ऐसी नियुक्ति या कार्यवाही इस अधिनियम और विनियमावली में उपबंधित रीति से की गयी हो:

परन्तु ऐसा कोई आदेश करने के पूर्व राज्य सरकार ⁷⁷[विश्वविद्यालय] के ⁷⁸ [कुलपित] और ऐसे समुचित प्राधिकरण जैसा गठित किया गया हो, की इस निमित्त रिपोर्ट पर, यदि कोई हो, का अभिनिश्चय करेगा और उस पर विचार करेगा:

परन्तु यह और कि इस अधिनियम के दिनांक से दो वर्षों के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जाएगा।

- 47. अस्थायी उपबन्ध.—इस अधिनियम और तद्धीन बनायी गई विनियमावली में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ⁷⁸[कुलपित], महापरिषद् के ⁷⁹[अध्यक्ष (चेयर परसन)] के पूर्व अनुमोदन से और निधियों की उपलब्धता के अधीन होते हुए इस अधिनियम और विनियमावली के उपबंधों का पालन करने के प्रयोजन से ⁷⁷[विश्वविद्यालय] के समस्त या किसी कृत्य का निर्वहन कर सकता है और उस प्रयोजन के लिए किन्हीं शिक्तयों का प्रयोग कर सकता है, या किन्हीं कर्तव्यों का पालन कर सकता है, जिनका प्रयोग और निष्पादन ⁷⁷[विश्वविद्यालय] के किसी प्राधिकारी द्वारा तब तक इस अधिनियम और तद्धीन बनायी गई विनियमावली द्वारा किया जाना है जब तक ऐसा प्राधिकरण इस अधिनियम या विनियमावली द्वारा यथा उपबंधित रूप से अस्तित्व में नहीं आ जाता है।
- **48.** क्षतिपूर्ति.—कोई वाद, अभियोजन या विधिक कार्यवाहियाँ, ⁷⁷[विश्वविद्यालय], ⁷⁸[कुलपित], ⁷⁷[विश्वविद्यालय] के प्राधिकरणों या अधिकारियों या किसी अन्य व्यक्ति के विरोध, ऐसी किसी बात के संबंध में नहीं की जायेगी, और कोई क्षतिपूर्ति का दावा भी नहीं किया जाएगा, जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये किसी विनियमावली के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक की गयी हो या किया जाना तात्पर्यित हो।
- **49.** अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव.—इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये किसी विनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से भिन्न किसी विधि के आधार पर प्रवृत्त होने वाले किसी लिखत में अन्तर्विष्ट उससे असंगत किसी बात के होते हुए, प्रभावी होंगे।

^{77.} उ. प्र. अधिनियम सं. 35 सन् 2006 की धारा 2 द्वारा "संस्थान" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

^{78.} उ. प्र. अधिनियम सं. 5 सन् 2009 की धारा 2 द्वारा "निदेशक" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

^{79.} उ. प्र. अधिनियम सं. 5 सन् 2009 की धारा 2 द्वारा "अध्यक्ष" के स्थान पर प्रतिस्थापित।